



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2013/माघ 29, 1934

No. 92]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2013/MAGHA 29, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2013

सं. 05/2013-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 99(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में अनिवार्य है, एतद्वारा माल की विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 (निर्यात संवर्धन) पूंजीगत माल (ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत पैराग्राफ 5.11 के अनुसार किसी क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यात उपरांत ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (0% ईपीसीजी प्रकार) के अंतर्गत भारत में आयात होने पर निम्नलिखित प्रकार से छूट प्रदान करती है जिसमें पूरा किए गए निर्यात देयता के अनुपात में शुल्क वापसी का प्रावधान है (जिसे इसके बाद संबंधित स्क्रिप कहा गया है) :—

(क) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के तहत उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क; और

(ख) उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क ।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, नामतः :—

(1) यह कि विदेश व्यापार नीति की प्रक्रिया पुस्तिका खंड 1 के पैराग्राफ 5.23 के अंतर्गत प्राधिकार (जिसे इसके बाद कथित प्राधिकार कहा गया है) जिसने ईपीसीजी ड्यूटी स्क्रिप स्कीम (0% ईपीसीजी प्रकार) का विकल्प चुना है क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा एक आवेदक को (जिसे इसके बाद कथित प्राधिकार धारक कहा गया है) 31 मार्च, 2013 को अथवा इससे पहले जारी की गई है जिसके अंतर्गत संबंधित स्क्रिप निर्यात उपरांत जारी किए गए मान्य प्राधिकार के अंतर्गत प्रदान की गई है :

बशर्ते कि प्रावधान है कि एक आवेदक जो भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा लागू प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत वर्तमान में कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो, को उक्त प्राधिकार जारी नहीं किया गया है । सीएसपी आवेदक जो सामान्य सेवा प्रदान करता है (जिसे इसके बाद सीएसपी कहा गया है), के मामले में यह प्रतिबंध तब लागू होगा जब सीएसपी अथवा इसका कोई विशिष्ट प्रयोक्ता जो टीयूएफएस के अंतर्गत वर्तमान में लाभ प्राप्त कर रहा हो । यह शर्त उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां टीयूएफएस के अधीन लाभ प्राप्त किया गया हो लेकिन वही व्यापार लाइन टीयूएफएस में प्रक्रिया पुस्तिका खंड-1 के पैरा 5.23 के अंतर्गत जारी

प्राधिकारियों के अंतर्गत व्यापार लाइन से भिन्न हो अथवा जहां टीयूएफएस के अंतर्गत प्राप्त लाभ लागू ब्याज सहित उक्त प्राधिकार को जारी करने से पहले वापस कर दिए गए हों:

बशर्ते कि आगे आवेदक द्वारा उक्त प्राधिकार को जारी करने वाले वर्ष में विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.16 के अंतर्गत स्टेटस होल्डर इनसेंटिव स्क्रिप के अंतर्गत इयूटी क्रेडिट स्क्रिप्स जारी न किए गए हों। आवेदक के सीएसपी होने के मामले में उक्त प्राधिकार सीएसपी अथवा इसके कोई विशिष्ट प्रयोक्ता द्वारा उक्त प्राधिकार को जारी करने वाले वर्ष में एसएचआईएस के अंतर्गत इयूटी क्रेडिट स्क्रिप्स जारी नहीं किए जाने चाहिए। इस शर्त को उस मामले में लागू नहीं किया जाएगा जहां पहले ही एसएचआईएस लाभ पहले ही प्राप्त कर लिए गए हों तथा जोअप्रयुक्त हों और अभ्यर्पित किए गए हैं अथवा जहां एसएचआईएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए गए हों जिन्हें प्रयुक्त किया गया हो तथा जिन्हें उक्त प्राधिकार को जारी करने से पहले लागू ब्याज सहित वापस कर दिया गया हो। एसएचआईएस स्क्रिप्स जिन्हें अभ्यर्पित अथवा लाभ वापस कर दिए हों अथवा एक विशेष वर्ष में जारी न किया गया हो जिसके कारण उस वर्ष में उक्त प्राधिकार जारी किया गया हो तब उसे आगामी वर्षों में भी जारी नहीं किया जाएगा;

(2) यह कि कथित प्राधिकार इयूटी छूट के अंतर्गत आयात के लिए नहीं है बल्कि संलग्न तालिका-1 में निर्दिष्ट माल के नकद लागू शुल्क की पूर्ण अदायगी पर आयात के लिए है;

(3) यह कि उक्त प्राधिकार को उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट आयात पत्तन पर पंजीकृत किया गया है और वह माल जिसे इसके साथ संलग्न तालिका 1 में विनिर्दिष्ट किया गया है नकद लागू शुल्क की पूर्ण अदायगी पर उक्त प्राधिकार के जारी करने की तारीख से नौ माह के अंदर आयात किया गया हो तथा उक्त प्राधिकार आयात ब्यैरे की मंजूरी के लिए माल की निकासी के समय उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा उन मामलों में जहां प्राधिकार धारक ने विकल्प दिया है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क के संबंध में सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अंतर्गत प्रदत्त सेनवेट क्रेडिट (जिसे बाद में सीमाशुल्क की अतिरिक्त इयूटी के रूप में संदर्भित किया गया), को नहीं लिया जाएगा, समुचित अधिकारी प्राविष्टि के बिल पर "सेनवेट क्रेडिट के लिए वैध नहीं" की अभिपुष्टि करता है;

बशर्ते कि इसके साथ अनुबद्ध सारणी-1 में विनिर्दिष्ट माल का आयात इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रानिक उत्पाद, बेसिक रसायन तथा भेषज औषधि, परिधान एवं कपड़ा, प्लास्टिक, हस्तशिल्प, रसायन तथा संबद्ध उत्पाद, चमड़ा एवं उत्पाद, कागज एवं कागज बोर्ड तथा उनसे बनी वस्तुएं, सिरमिक उत्पाद, रिफ्रेक्ट्रीज, कांच तथा कांच के बर्तन, रबर तथा उससे बनी वस्तुएं प्लाईवुड तथा संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद, क्रीड़ा सामान तथा खेलौने के निर्यात के लिए जाता है तथा इनके अतिरिक्त वे जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित अध्यायों तथा शीर्षों के अंतर्गत उत्पाद के निर्यात के लिए अपेक्षित है, नामतः -

अध्याय 1,2,4,5 (हस्तशिल्प को छोड़कर) 6 से 24, 25-27, 31-43, 44 (प्लाईवुड तथा संबद्ध उत्पाद को छोड़कर) 45, 47, 68 (हस्तशिल्प को छोड़कर), 71, 81 (प्राथमिक एवं मध्यवर्ती रूपों की धातुओं में), 89, 93, 97 (हस्तशिल्प को छोड़कर), 98; शीर्षक 4011-4013, 7401-7406, 7501- 7504, 7601-7603, 7801-7802, 7901-7903, 8001, 8002 तथा 8401:

बशर्ते यह भी कि एक परवर्ती प्रभार के लिए उस प्राधिकार के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण एवं आरंभिक प्रभार के लिए उत्प्रेरक का आयात किया गया है, उन मामलों को छोड़कर जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी संयंत्र, मशीनरी अथवा उपकरण तथा आरंभिक प्रभार के लिए उत्प्रेरक के आयात के उपरांत परवर्ती प्रभार के लिए उत्प्रेरक हेतु अलग प्राधिकार जारी करता है;

बशर्ते यह भी कि इसके साथ संलग्न सारणी-1 में विनिर्दिष्ट माल का आयात 31 दिसम्बर, 2013 तक किया जाता है;

(4) यह कि उक्त प्राधिकार के अंतर्गत आयातित माल को उक्त स्क्रिप के पंजीयन के समय प्राधिकार धारक के कारखाने में उनके आयात के पश्चात स्थापित किया जाता है तथा उपयोग किया जाता है, ऐसे स्थापन तथा माल के उपयोग के बारे में क्षेत्राधिकार वाले उपायुक्त सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जैसा भी मामला हो, इस पुष्टि का प्रमाण पत्र उक्त प्राधिकार के विरुद्ध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स के निर्गम के लिए प्राधिकार धारक द्वारा प्रथम आवेदन की तिथि से पहले जारी किया गया हो, को उपायुक्त सीमाशुल्क तथा सहायक सीमाशुल्क जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है:

बशर्ते कि समर्थनकारी विनिर्माता अथवा विक्रेता वाले व्यापारी प्राधिकार धारक तथा विनिर्माता प्राधिकार धारक के मामले में ऐसे अन्य व्यक्ति के कारखाने अथवा परिसर में पंजीगत माल स्थापित किया जा सकता है जिसका नाम व पता उक्त प्राधिकार पर एवं निर्यात देयता की पूर्ति के निर्यात बिल पर पृष्ठांकित किया जाता है तथा ऐसा अन्य व्यक्ति संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग निर्यात देयता एवं अलग-अलग शर्तों को पूरा करता है। यह सीएसपी पर लागू नहीं होगा;

बशर्ते यह भी कि प्राधिकार धारक जिसमें ऐसा प्राधिकार धारक शामिल है जो सीएसपी नहीं है, यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकृत नहीं है तो वह स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा जारी स्थापन तथा उपयोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है;

(5) यह कि उक्त प्राधिकार के अंतर्गत आयातित माल दोषपूर्ण अथवा उपयोग के लिए ठीक नहीं पाया जाता है तो उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात शुल्क की भुगतान तिथि से तीन वर्ष के भीतर विदेशी आपूर्तिकर्ता को वापस निर्यात किया जा सकता है-

(क) पुनः निर्यात होने के समय, उपायुक्त सीमाशुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमाशुल्क जैसा भी मामला हो यह पहचान करेगा कि वे वही मर्दे हैं जिनका आयात किया गया था;

(ख) जब इयूटी प्रतिअदायगी के अंतर्गत मर्दों को पुनः निर्यात किया जाता है तो पुनः निर्यात पर आयात के समय देय इयूटी के लिए इयूटी क्रेडिट स्ट्रिप के रूप में इयूटी में किसी प्रकार की वापसी की मंजूरी नहीं है;

(ग) संबंधित प्राधिकार के अंतर्गत आयातित मर्दों पर देय इयूटी भुगतान के संबंध में इयूटी क्रेडिट स्ट्रिप के रूप में इयूटी की वापसी का दावा करने के बाद मर्दों के पुनः निर्यात के समय इयूटी प्रतिअदायगी की मंजूरी नहीं होगी तथा निर्यात देयता भी पुनः निर्धारित नहीं की जाएगी;

(6) यह कि उक्त प्राधिकार के अंतर्गत आयातित माल को निपटान अथवा बिक्री अथवा लीज अन्य किसी प्रकार से संबंधित स्ट्रिप के जारी होने के समक्ष किए गए पिछले निर्यात की तारीख तक स्थानांतरित नहीं किया गया है;

(7) यह कि कुल निर्यात देयता जो पूरा किया जाना है उक्त प्राधिकार के अंतर्गत आयातित माल पर भुगतान की गई सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लागू सीमाशुल्क (तत्पश्चात मूल सीमा शुल्क इयूटी के रूप में संदर्भित), सीमाशुल्क की अतिरिक्त इयूटी, वित्त अधिनियम 2004 (सं. 2) (2004 का 23) की धारा 94 के अंतर्गत शिक्षा उपकर तथा वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 के अंतर्गत माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर के योग की राशि के 6 गुना के पच्चासी प्रतिशत (85%) के बराबर होगा जो कि फ्री ऑन बोर्ड आधार पर होगी, जिसे संबंधित प्राधिकार के जारी होने की तारीख से 6 वर्ष की निर्यात देयता अवधि के भीतर पूरा किया जाना है:

बशर्ते कि सीमाशुल्क की अतिरिक्त इयूटी का निर्यात देयता नियत करने हेतु संगणन नहीं किया जाएगा जब सीमाशुल्क की अतिरिक्त इयूटी के संबंध में सेनवेट क्रेडिट ले लिया गया हो:

बशर्ते यह भी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी उत्पादों अर्थात् सौर ऊर्जा के विकेन्द्रीकृत तथा ग्रिड से जुड़े उपकरण, बायोमास तथा बेस्ट बॉयलर, वाष्प संविलियन चिलर, वेस्ट हीट बॉयलर, वेस्ट हीट बॉयलर, वेस्ट हीट रिकवरी एकक, अनफाईर्ड हीट रिकवरी जेनरेटर, विंड टरबाइन, सोलर क्लेक्टर तथा उसके हिस्से, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, विंड मिल तथा विंड मिल टरबाइन अथवा ईंजन, अन्य जनरेटिंग सेट-विंड पॉवरड, विद्युत से चलने वाले वाहन-मोटर कार, विद्युत से चलने वाले- लोरी तथा ट्रक, विद्युत से चलने वाले वाहन- मोटर साइकिल तथा मोपड और सोलर सेल के निर्यात द्वारा पूरा किए जाने पर निर्यात देयता उपर्युक्त विनिर्दिष्ट निर्यात देयता के 75 % होगी:

बशर्ते यह भी कि अरुणांचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा में स्थित इकाईयों के लिए निर्यात देयता उपर्युक्त विनिर्दिष्ट निर्यात देयता के 25% होगी:

बशर्ते यह कि जहां कोई रुग्ण इकाई औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अधिसूचित है अथवा जहां रुग्ण इकाई के संबंध में इसके पुनर्संजीवन के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा कोई पुनर्वास स्कीम घोषित की जाती है, वहां निर्यात देयता संचालक एजेंसी द्वारा तैयार और बीआईएफआर/ राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमत्य अवधि के अंतर्गत पूरी की जाएगी। जिन मामलों में पुनर्वास पैकेज में समयावधि विनिर्दिष्ट नहीं है उनमें निर्यात देयता लाइसेंसिंग प्राधिकरण अथवा क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमत्य समयावधि के अंतर्गत पूरी की जाएगी जो बारह वर्षों से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते यह भी प्रावधान किया गया कि वर्तमान संयंत्र और मशीनरी (पहले प्रक्रिया पुस्तिका खंड-1 के पैरा 5.23 अंतर्गत अथवा अन्य रूप से पूर्व में आयातित) के लिए पुर्जों (पुनः मरम्मत/ तैयार किए गए पुर्जों सहित), ढांचों, रंगों, जुगतों, जुड़नारों, यंत्रों, प्रारम्भिक लाइनिंग के लिए प्रतिरक्षितों और प्रारम्भिक प्रभार के लिए उत्प्रेरकों को जिन्हें पहले प्रक्रिया पुस्तिका खंड-1 के पैरा 5.23 के अंतर्गत इस शर्त के अधीन आयातित करने की अनुमति दी जाएगी कि ऊपर विहित सामान्य निर्यात देयता के 50% के समतुल्य निर्यात देयता प्राधिकार जारी होने की तिथि से 6 वर्षों में पूरी की जाएगी बशर्ते कि उक्त पुर्जों आदि के आयात का सी आई एफ मूल्य प्राधिकार के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी के सी आई एफ मूल्य के 10% तक सीमित होगा अथवा प्राधिकार के अलावा अन्य रूप से पूर्व आयातित संयंत्र और मशीनरी के बुक वैल्यू के 10% जैसा मामला हो, तक सीमित होगा;

(8) यह कि संबंधित स्क्रिप में इयूटी क्रेडिट के रूप में दी गई इयूटी की वापसी उसी राशि के अनुपात में होनी चाहिए जो संबंधित प्राधिकार के अंतर्गत आयात किए गए माल पर मूल सीमा शुल्क इयूटी जिसे निर्यात देयता के निर्धारण हेतु विचार किया गया था जो निर्यात देयता पूरी किए जाने की सीमा के रूप में (जो औसत निर्यात देयता से अधिक हो) की कुल निर्यात देयता के लिए है: ;

स्पष्टीकरण 1 - शर्त (8) के उद्देश्यार्थ-

(क) संबंधित स्क्रिप में इयूटी में दी गई छूट में इयूटी के ऐसे भुगतान को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें से किसी अंश पर छूट दी गई हो, इयूटी प्रति अदायगी के माध्यम सहित;

(ख) इयूटी वापसी की राशि में इयूटी के भुगतान वाली उस राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। जिसका अंतिम रूप से आंकलन नहीं किया गया है;

(ग) पूरा किए गए निर्यात देयता की सीमा संबंधित स्क्रिप में शामिल किए गए अंतिम निर्यात तक पूरे किए गए निर्यात देयता में से होगी। निर्यात देयता में से संबंधित प्राधिकार के समक्ष पिछली बार जारी इयूटी क्रेडिट स्क्रिप जिसकी पहले संगणना की जा चुकी है में से घटा दी जाएगी;

(घ) उपर्युक्त शर्त (ग) में संबंधित स्क्रिप में शामिल किए गए पिछले निर्यात तक पूरे किए गए निर्यात देयता को निम्न मामलों में समग्र निर्यात देयता के रूप में माना जाएगा -

665 62/13-2

(i) जहां प्राधिकार धारक उक्त शर्त (7) यथा उल्लिखित निर्यात देयता के लिए विहित अवधि के भीतर निर्यात देयता (औसत निर्यात देयता के सौ प्रतिशत (100%) से अधिक) का पचहत्तर प्रतिशत (75%) अथवा इससे अधिक, जैसा कि शर्त (7) में निर्दिष्ट किया गया है विहित अवधि की आधी अवधि में पूरा करता है उस मामले में बकाया निर्यात देयता को समाप्त कर दिया जायेगा;

(ii) जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी शर्त (7) में यथा विहित ऐसे निर्यात दायित्व के पांच प्रतिशत (5%) तक निर्यात देयता में कमी को विनियमित करता है, उस मामले में उक्त कमी माफ कर दी जाएगी।

(ड.) निर्यात देयता से संबंधित इस अधिसूचना का स्पष्टीकरण 2, संबंधित प्राधिकार के समक्ष जारी संबंधित स्क्रिप सहित प्रत्येक इयूटी स्क्रिप पर अलग-अलग से लागू होगी;

(च) शर्त (7) में विनिर्दिष्ट निर्यात देयता अवधि के भीतर किया गया निर्यात तथा आपूर्ति की निर्यात देयता पूरा करने हेतु संगणना की जाएगी;

(छ) निर्यात देयता की पूर्ति हेतु, निर्यात/ आपूर्ति के समक्ष भुगतान प्राप्त किया गया हो;

(9) यह कि जहां शर्त (7) के प्रथम परंतुक को लागू किया जाता है, सीमाशुल्क की अतिरिक्त इयूटी के संबंध में सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया जाएगा तथा उक्त स्क्रिप के पंजीयन के समय क्षेत्राधिकार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जैसा भी मामला हो, से उपायुक्त सीमाशुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमाशुल्क जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्राधिकार धारक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्राधिकार के अंतर्गत आयातित माल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क के संबंध में सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया गया है:

बशर्ते कि जब प्राधिकार धारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में पंजीकृत नहीं हो तो वह स्वयं-प्रमाणन आधार पर संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकता है;

(10) यह कि संबंधित स्क्रिप पर में इयूटी हेतु दी गई वापसी का संबंध संबंधित प्राधिकार के अंतर्गत किए गए आयात पर दी गई ऐसी इयूटी जिसका स्थापन तथा उपयोग नहीं किया गया हो से नहीं है;;

(11) यह कि संबंधित स्क्रिप में इयूटी में दी गई छूट पूंजीगत माल की इंडिजिनश सोर्सिंग के परिणाम स्वरूप नहीं की गई हो;

(12) यह कि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा संबंधित स्क्रिप को इयूटी में छूट हेतु प्रपत्र एनएफ 5 बी में प्राधिकार धारक के अनुरोध पर जारी किया गया हो यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि पंजीयन का बंदरगाह वहीं है जैसा कि संबंधित प्राधिकार में उल्लिखित किया गया है तथा उसमें संबंधित प्राधिकार के समक्ष जारी पिछली क्रेडिट स्क्रिप तथा इयूटी क्रेडिट की संगणना, संबंधित प्राधिकार, कुल नियत निर्यात देयता का विवरण हो;

(13) यह कि संबंधित प्राधिकार के अंतर्गत आयात, निर्यात देयता पूरा करने हेतु किया निर्यात तथा संबंधित स्क्रिप के विरुद्ध मदों का आयात समुद्री बंदरगाहों, हवाई अड्डों अथवा इनलैंड कन्टेनर डिपो अथवा भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों के माध्यम से किया गया हो जैसा कि साथ संलग्नक तालिका-2 में अथवा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित किसी विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किया गया हो;

बशर्ते कि सीमाशुल्क आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक नोटिस द्वारा और उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानपत्तन, इनलैंड कन्टेनर डिपो अथवा लैंड कस्टम स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति प्रदान कर सकते हैं;

(14) यह कि पंजीयन के उद्देश्य हेतु, प्राधिकार धारक द्वारा संबंधित स्क्रिप को सीमाशुल्क उप आयुक्त अथवा सीमाशुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित सहित पंजीकरण के विनिर्दिष्ट बंदरगाह पर प्रस्तुत किया गया हो-

(क) संबंधित प्राधिकार तथा संबंधित प्राधिकार के अंतर्गत आयात जहां प्रविष्टि के बिल द्वारा लागू इयूटी का नकद में भुगतान किया गया है;

(ख) निर्यात देयता अवधि के भीतर पूरा किए गए निर्यात की सीमा को दर्शाने वाले साक्ष्य।

(ग) स्थापन संपुष्टि तथा उपयोग प्रमाण-पत्र जैसा कि उपर्युक्त शर्त (4) में निर्धारित है।

(घ) इस बात का प्रमाण पत्र कि सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया गया है जैसा कि उपर्युक्त शर्त (9) में निर्धारित है, जहां लागू है।

(ड.) निम्न उद्देश्य हेतु प्राधिकार धारक से शपथ-पत्र-

(i) संबंधित प्राधिकार के अंतर्गत आयातित माल को निपटान अथवा बिक्री अथवा लीज अन्य किसी प्रकार से संबंधित स्क्रिप के जारी होने के समक्ष किए गए पिछले निर्यात की तारीख तक स्थानांतरित नहीं किया गया है;

(ii) संबंधित स्क्रिप में इयूटी में दी गई वापसी में इयूटी के ऐसे भुगतान को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें से किसी अंश पर छूट दी गई हो, इयूटी प्रति अदायगी के माध्यम सहित; तथा

(iii) संबंधित स्क्रिप में इयूटी क्रेडिट के संबंध में सभी शर्तों का पालन किया गया है, तथा उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट होने पर उस स्क्रिप के पंजीयन की इजाजत देता है तथा सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित स्क्रिप के विवरण तथा इस टिप्पण का अनुसमर्थन करेगा की प्रविष्टि के बिल के स्थान पर "पुनः निर्यात पर प्रतिअदायगी उपलब्ध नहीं है" तथा संबंधित स्क्रिप का पंजीयन करता है;

(15) यह कि संबंधित स्क्रिप तथा उसके समक्ष आयात की गई मदें स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित होगी;

(16) यह कि संबंधित स्क्रिप मर्दों पर लगने वाली इयूटी के डेबिट हेतु अनापत्ति के समय उपयुक्त सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा उपयुक्त अधिकारी इस छूट के अंतर्गत पहले ही डेबिट की गई राशि को ध्यान में रखते हुए इस छूट के तहत, मर्दों पर लगने वाली इयूटी डेबिट करेगा;

(17) संबंधित स्क्रिप की वैधता उसके जारी होने के अठ्ठारह महीने तक रहेगी तथा संबंधित स्क्रिप उस तारीख को वैध हो जब इयूटी का वास्तविक डेबिट हुआ हो;

(18) जहां आयातकर्ता इस अधिसूचना के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अंतर्गत लगने वाले अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट का दावा नहीं करता है तो उसे संबंधित सीमाशुल्क की अतिरिक्त इयूटी की संगणना हेतु इस अधिसूचना के अंतर्गत लाभ लेने वाला नहीं माना जाएगा;

(19) यह कि इस अधिसूचना के अंतर्गत उन मर्दों को लाभ उपलब्ध नहीं होगा जिन्हें प्रक्रिया पुस्तिका खंड-1 परिशिष्ट 37 ख में सूचीबद्ध किया गया है;

(20) यह कि आयातकर्ता को संबंधित स्क्रिप में से डेबिट की गई राशि के समक्ष प्रतिअदायगी अथवा संबंधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लगने वाली अतिरिक्त इयूटी के सेनवेट क्रेडिट की हमदारी होगी।

स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए-

- (क) "पूँजीगत माल" का वही अर्थ है जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.12 में दिया गया है;
- (ख) "सामान्य सेवा प्रदाता" (सी एस पी) का अर्थ उस सेवा प्रदाता से है जिसे डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग द्वारा अथवा किसी उत्कृष्ट नगर में राज्य औद्योगिकी बुनियादी संरचना निगम द्वारा पदनामित अथवा प्रमाणित किया गया हो;
- (ग) "निर्यात देयता"

(I) का अर्थ है प्राधिकार धारक पर भारत से बाहर उत्पादित/उत्पादन के लिए सक्षम अथवा इस अधिसूचना के दृष्टिकोण से आयातित पूँजीगत माल के उपयोग द्वारा दी गई सेवा पर देयता तथा निर्यात देयता के अंतर्गत उन्हीं उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में आयातक द्वारा प्राप्त निर्यात के औसत स्तर के अलावा होगी तथा ऐसी औसत उन्हीं उत्पादों के लिए विगत 3 वर्षों में निर्यात निष्पादन का गणितीय औसत होगा:

बशर्ते कि निर्यात देयता के 50% को आयातक अथवा ई पी सी जी प्राधिकार वाले ग्रुप कंपनी/प्रबंधित होटल द्वारा उत्पादित अन्य माल अथवा प्रदान की गई सेवा के निर्यात द्वारा भी पूरा किया जा सकता है, परन्तु इस शर्त के अधीन ऐसे मामलों में लगाई गई अतिरिक्त निर्यात देयता

पिछले तीन वर्षों में आयातक अथवा उसके ग्रुप कम्पनी/प्रबंधित होटल द्वारा मूल और वैकल्पिक उत्पाद/सेवा के लिए प्राप्त औसत निर्यात के अलावा होगी:

बशर्ते यह भी कि हस्तशिल्प, हैंडलूम, झोपड़ी, छोटे क्षेत्र, कृषि, पशु पालन, पुष्पकृषि, बागबानी, मत्स्यपालन, द्राक्ष-कृषि, मुर्गी पालन और रेशम-उत्पादन से संबंधित माल के निर्यात के मामले में आयातक द्वारा निर्यात का औसत स्तर बनाए रखना अपेक्षित नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि एकवाकल्चर (मत्स्य पालन सहित) से संबंधित माल के निर्यात के मामले में प्राधिकार धारक के लिए निर्यात का औसत स्तर बनाए रखना अपेक्षित नहीं होगा बशर्ते कि फिशिंग ट्रोलर्स, बोट, शिप एवं अन्य ऐसी मर्चों को छोड़कर माल के लिए प्राधिकार प्राप्त कर लिया गया हो:

बशर्ते यह भी कि इस अधिसूचना के अंतर्गत आयातित औजारों को छोड़कर माल को उपर्युक्त क्षेत्रों द्वारा आयात की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए अंतरित करने की अनुमति नहीं होगी, उन मामलों में भी नहीं जहां निर्यात देयता पूरी कर ली गई हो। तथापि, पूंजीगत माल को निर्यात देयता पूरी करने के बाद परंतु आयात की तिथि से पांच वर्षों के भीतर क्षेत्रीय प्राधिकारी और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को सूचना देते हुए ग्रुप कंपनियों के बीच अंतरित करने की अनुमति होगी।

बशर्ते यह भी कि डी जी एफ टी द्वारा अधिसूचित देशों को किए गए निर्यात को निर्यात के औसत स्तर निर्धारित करने के लिए गिना नहीं जाएगा:

बशर्ते यह भी कि केवल ऐसे निर्यात को निर्यात देयता को पूरा करने के लिए गिना जाएगा जिन निर्यात बिलों पर प्राधिकार सं. और तिथि का उल्लेख होगा:

बशर्ते यह भी कि किसी सामान्य सेवा प्रदाता को जारी प्राधिकार के मामले में निम्न:-

(क) इस स्पष्टीकरण में प्राधिकार धारक के संदर्भ का अर्थ सामान्य प्राधिकार धारक तथा ऐसे विशिष्ट प्रयोक्ता के संदर्भ में होगा जिसके विवरण के संदर्भ में होगा जिसके विवरण के बारे में क्षेत्रीय प्राधिकारी को सामान्य सेवा प्रदाता द्वारा पहले ही सूचित किया जा चुका है।

(ख) सामान्य सेवा प्रदाता के निर्यात देयता की पूर्ति के लिए सामान्य सेवा के प्रयोक्ता द्वारा किए निर्यात की संगणना की जाएगी, सामान्य सेवा प्रदाता के प्रयोक्ताओं के संबंधित निर्यात बिलों में सामान्य सेवा प्रदाता को प्राधिकार विवरण निहित होगा तथा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऐसे निर्यात से पहले प्रयोक्ता के विवरण के बारे में सूचित किया जाएगा।

(ग) प्राधिकार के समक्ष निर्यात की प्रक्रिया पुस्तिका खंड-1 के पैरा 5.23 सहित विदेश व्यापार नीति के अध्याय-5 के अंतर्गत जारी अन्य सभी प्राधिकारों के समक्ष अन्य विशिष्ट निर्यातों की पूर्ति हेतु संगणना नहीं की जाएगी।

(II) को वास्तविक निर्यात के जरिए पूरा किया जाएगा और निर्यात प्राप्ति को आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल किया जाएगा। तथापि निम्नलिखित संवर्गों की आपूर्तियों को निर्यात देयता पूरी करने के लिए गिना जाएगा:

(क) सम निर्यात नामतः

(i) अग्रिम प्राधिकार/वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डी एफ आई ए) के संबंध में माल की आपूर्ति;

(ii) ई ओ यू अथवा एस टी पी अथवा ई एच टी पी अथवा बी टी पी को माल की आपूर्ति;

(iii) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आपई सी बी) के अंतर्गत अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/कोषों द्वारा उन एजेंसियों/कोषों की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्त पोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति, वहां विधिक करारों में सीमा शुल्क को शामिल किए बिना निविदा मूल्यांकन का प्रावधान है; आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आई सी बी के अंतर्गत अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/कोषों द्वारा उन एजेंसियों/कोषों की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए माल और उपस्करों (प्रमुख ठेकों की एकमात्र जिम्मेदारी) तथा उन्हें लगाना जहां बोलियां विदेश में उत्पादित माल के लिए डेलीवरी इयूटी पेड (डी डी पी) कीमतों के आधार पर आमंत्रित कर मूल्यांकन किया जाता हो;

(iv) किसी भी ऐसी परियोजना अथवा उद्देश्य के लिए माल की आपूर्ति जिनके संबंध में वित्त मंत्रालय अधिसूचना द्वारा शून्य सीमा शुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति प्रदान करता है और आपूर्ति आई सी बी प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है;

(v) मेगा पावर परियोजना हेतु मर्दों की आपूर्ति जैसा कि विदेश/व्यापार नीति के पैरा 8.2 के खंड (च) के उपखंड-II में प्रावधान किया गया है;

(vi) प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के द्वारा परमाणु बिजली परियोजनाओं के लिए मर्दों की आपूर्ति जैसा कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 के खंड (ज) में प्रावधान किया गया है;

(ख) घरेलू टैरिफ क्षेत्र को आई टी ए-1 मर्दों की आपूर्ति बशर्ते कि सरल विदेशी विनिमय वाली मुद्रा में वसूली हो;

(ग) आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त रायल्टी भुगतान एवं आर एंड डी सेवाओं के लिए प्राप्त विदेशी विनिमय; और

(घ) विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 9 के दृष्टिकोण से पोर्ट हैंडलिंग सेवाओं के लिए रुपए में प्राप्त भुगतान।

(घ) “विदेश व्यापार नीति” का अर्थ भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में संख्या 1(आर ई-2012)/2009-2014, दिनांक 5 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर संशोधित विदेश व्यापार नीति 2009-2014 से है;

(ङ.) “प्रक्रिया पुस्तिका खंड-I” का अर्थ भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I में संख्या 01 (आर ई-2012)/ 2009-2014 दिनांक 5 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर संशोधित प्रक्रिया पुस्तिका खंड-I, 2009-14 है;

(च) “विनिर्माण” से वही अर्थ है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 (1994 का 1) की धारा 2 के खण्ड (च) में परिभाषित है;

(छ) “क्षेत्रीय प्राधिकारी” का अर्थ है विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त विदेश व्यापार महा निदेशक अथवा उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत शुल्क क्रेडिट पर्ची सहित प्राधिकारिता दिए जाने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी;

(ज) “उत्कृष्ट निर्यात नगर” का अर्थ 750 करोड़ अथवा निर्यात की उन्नति की उससे अधिक क्षमता वाला कोई चुना गया नगर है तथापि हैंडलूम, हैंडिक्राफ्ट, कृषि तथा मत्स्य पालन क्षेत्र में यह सीमा 150 करोड़ रुपये होगी।

सारणी 1

क्र.सं.	माल का विवरण
1	सेकेंड हैंड पूंजीगत माल सहित उत्पादन पूर्व, उत्पादन और उत्पादन के पश्चात पूंजीगत माल
2	आयातक द्वारा पूंजीगत माल के रूप में एसेम्बल करने के लिए एक केडी/ सी केडी में पूंजीगत माल शर्त (1) में उल्लिखित ईपीसीजी प्राधिकरण के अंतर्गत
3	ऐसे आयातित, एसेम्बल्ड अथवा उत्पादित पूंजीगत माल रख-रखाव के लिए वास्तव में आयातित और अपेक्षित क्रम सं. 1 और 2 में विनिर्दिष्ट माल के सीआईएफ मूल्य के 10% तक के सीआईएफ मूल्य वाले खुले पुर्जे
4	प्राधिकारधारी के वर्तमान संयंत्र और मशीनरी के बुक वैल्यू के 10% तक सीआईएफ मूल्य वाले खुले पुर्जे

सारणी 2

क्र.सं.	पत्तन, आईसीडी, एलसीएस	जहां स्थित हैं
1	समुद्र पत्तन	बेदी (रोजी-जामनगर सहित), चेन्नई, कोचीन, दहेज, धरमतर, हल्दिया (कोलकाता बंदरगाह के हल्दिया डॉक) काकीनाडा, कांडला, कोलकाता, कृष्णापट्टनम, एन्नोर (तमिलनाडु) और कराईकल (संघ राज्य क्षेत्र के पुडुचेरी), मगडाल्ला, मंगलौर, मर्मागोवा, मुलद्वारका, मुंबई, न्हावाशेवा, ओखा, पारादीप, पीपावाव, पोरबंदर, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, मूंदड़ा, नागपट्टिनम और वाडिनार
2	हवाई पत्तन	अहमदाबाद, बैंगलूर, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोचीन, कोयंबटूर, डाबोलिम (गोवा), दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ (अमौसी), मुंबई, नागपुर, राजासांसी (अमृतसर), श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी और विशाखापट्टनम
3	इनलैंड कंटेनर डिपो	आगरा, अहमदाबाद, अनापार्थी (आंध्र प्रदेश), बाबरपुर, बंगलौर, भदोही, भटिंडा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, भुसावल, छेत्तीपाल्यम (तमिलनाडु), छेहाइता (अमृतसर), कोयंबटूर, दादरी, दापर (डैरा बस्सी), दौलताबाद (वजारवाड़ी तथा मालीवाड़ा), दिल्ली, धन्नाड, राऊ (जिला इंदौर), डिगही (पुणे), दुर्गापुर (निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क), फरीदाबाद, गहीं हरसारु, गुवाहाटी, गुंटूर, हैदराबाद, लुरुगुरु गांव (तमिलनाडु), इरुनगाडुकोट्टाई (एसआईपीसीओटी औद्योगिक पार्क, काट्टाराम्बक्कम गांव, श्रीपेरुमबुदुरतालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु), जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, करूर, खेड़ा (पीथमपुर, जिला धार), कोटा, कुंडली, लोनी (जिला गाजियाबाद), लुधियाना, मदुराई, मालानपुर, मंडीदीप (जिला रायसेन), मरीपल्लेम गांव (जिला गुंटूर इडलापाडु तालुका में), मिराज, मुरादाबाद, नागपुर, नासिक, पाटली (गुडगांव), पिम्परी (पुणे), पीतमपुरा (इंदौर), पांडिचेरी, रायपुर, रेवाड़ी, रुद्रपुर (नैनीताल), सेलम, सिंगनालूर, सूरत, सूरजपुर, तलेगांव (जिला पुणे), थुडियालूर (तमिलनाडु), तिरुपुर, टोडिअरपेट (टीएनपीएम), चेन्नई, तूतीकोरिन, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, वीरापंडी (तमिलनाडु) और वालुज (औरंगाबाद)
4	भूमि सीमाशुल्क स्टेशन	अगरतला, अमृतसर रेल कार्गो, अटारी रोड, चांगराबांधा, डावकी, घोजाडांगा, हिल्ली, जोगबनी, महादीपुर, नेपालगंज रोड, नौतनवा (सोनौअली), पेट्रापोल, रानाघाट, रक्सौल, सिंघाबाद और सुतारखंडी

[फा. सं. 605/12/2012-डीबीके (भाग)]

राजीव तलवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2013

No. 05/2013-Customs

G.S.R. 99(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods when imported into India against a Post Export EPCG duty credit scrip (0% EPCG variant) issued by the Regional Authority in accordance with paragraph 5.11 under Chapter 5 {Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme} of the Foreign Trade Policy which provides for duty remission in proportion to export obligation fulfilled (hereinafter referred to as the said scrip) from,-

- (a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); and
- (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act.

2. The exemption under this notification shall be subject to the following conditions, namely:-

(1) that the said scrip is granted against a valid authorisation issued on or before 31st March, 2013 under para 5.23 of the Handbook of Procedures Volume 1 (hereinafter referred to as the said authorisation) by the Regional Authority to an applicant (hereinafter referred as the authorisation holder) who opted for the scheme of Post Export EPCG Duty Credit Scrip (0% EPCG variant):

Provided that the said authorisation is not issued to an applicant who is currently availing any benefits under Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) administered by the Ministry of Textiles, Government of India. In the case of applicant who is Common Service Provider (hereinafter referred to as CSP), this bar shall apply when CSP or any of its specific users is currently availing any benefits under TUFS. This condition shall not apply where the benefit under TUFS has been obtained but the exact line of business in TUFS is different from the line of business under authorisations issued under para 5.23 of Handbook of Procedures Volume 1 or where benefits availed under TUFS are refunded, with applicable interest, before the said authorisation was issued:

Provided further that the applicant is not issued, in the year of issuance of the said authorisation, the duty credit scrips under Status Holders Incentive Scrip (SHIS) scheme under para 3.16 of the Foreign Trade Policy. In the case of applicant who is CSP, the CSP or any of its specific users should not be issued, in the year of issuance of the said authorisation, the duty credit scrips under SHIS. This condition shall not apply where already availed SHIS benefit that is unutilised is surrendered or where benefits availed under SHIS that is utilised is refunded, with

665 55713-4

applicable interest, before issue of the said authorisation. SHIS scrips which are surrendered or benefit refunded or not issued in a particular year for the reason the said authorisation has been issued in that year shall not be issued in future years also;

(2) that the said authorisation is not for import under duty exemption but for import of the goods specified in the Table 1 annexed hereto on full payment of applicable duties in cash;

(3) that the said authorisation is registered at the port of import specified in the said authorisation and the goods, which are specified in the Table 1 annexed hereto, are imported within nine months from the date of issue of the said authorisation on full payment of applicable duties in cash, and the said authorisation is produced before the proper officer of customs at the time of clearance of the goods for endorsement of the import particulars and in cases where the authorisation holder has opted that the Cenvat Credit under Cenvat Credit Rules, 2004 in respect of the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) paid (hereinafter referred to as additional duty of customs) shall not be taken, the proper officer endorses "Not valid for Cenvat Credit" on the bill of entry:

Provided that the goods specified in the Table 1 annexed hereto are imported for export of engineering and electronic products, basic chemicals and pharmaceuticals, apparels and textiles, plastics, handicrafts, chemicals and allied products, leather and leather products, paper and paperboard and articles thereof, ceramic products, refractories, glass and glassware, rubber and articles thereof, plywood and allied products, marine products, sports goods and toys and are other than those required for export of products covered under following chapters or headings of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), namely:-

Chapters 1, 2, 4, 5 (except handicrafts), 6 to 24, 25 to 27, 31, 43, 44 (except plywood and allied products), 45, 47, 68 (except handicrafts), 71, 81 (metals in primary and intermediate forms only), 89, 93, 97 (except handicrafts), 98; headings 4011 to 4013, 7401 to 7406, 7501 to 7504, 7601 to 7603, 7801, 7802, 7901 to 7903, 8001, 8002 and 8401:

Provided further that catalyst for one subsequent charge shall be allowed, under the authorisation in which plant, machinery or equipment and catalyst for initial charge have been imported, except in cases where the Regional Authority issues a separate authorisation for catalyst for one subsequent charge after the plant, machinery or equipment and catalyst for initial charge have already been imported:

Provided also that the import of the goods specified in the Table 1 annexed hereto are made upto the 31st December, 2013;

(4) that the goods imported under the said authorisation are installed and put to use, after their import, in the authorisation holder's factory or premises and at the time of registration of the said scrip a certificate, confirming such installation and use of the goods, from the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, which has been issued prior to the date of the first application filed by the authorisation holder for issuance of duty credit scrip against the

said authorisation, is produced before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be:

Provided that in the case of manufacturer authorisation holder and merchant authorisation holder having supporting manufacturer(s) or vendor(s), the capital goods may be installed at the factory or premises of such other person whose name and address is endorsed on the said authorisation and also on the shipping bills for fulfillment of the export obligation and the authorisation holder and such other person jointly and severally fulfill the export obligation and all other conditions. This shall not apply to a CSP:

Provided further that if the authorisation holder, including an authorisation holder who is a CSP, is not registered with the Central Excise he may produce the said certificate of installation and usage issued by an independent Chartered Engineer;

(5) that where the goods imported under the said authorisation are found defective or unfit for use, they may be re-exported back to the foreign supplier within three years from the date of payment of duty on the importation thereof subject to the condition that –

- (a) at the time of re-export the goods are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to be the same goods which were imported;
- (b) when the re-export of the goods has been made under claim of duty drawback, no duty remission in the form of duty credit scrip for the duty paid at the time of import on the re-exported goods shall be allowed;
- (c) after any duty remission in the form of duty credit scrip has been claimed in respect of the duty paid on the goods imported under the said authorisation, no duty drawback shall be allowed when the goods are re-exported and the export obligation shall also not be re-fixed;

(6) that goods imported under the said authorisation are not disposed of or transferred by sale or lease or any other manner by the authorisation holder till the date of last export against which the said scrip is issued;

(7) that the total export obligation to be fulfilled is equivalent to eighty five percent. (85%) of six times the amount which is the sum of applicable duty of customs under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) paid (hereinafter referred to as basic customs duty), additional duty of customs, Education Cess under section 94 of the Finance (No.2) Act, 2004 (23 of 2004) paid and Secondary and Higher Education Cess under section 136 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007) paid on goods imported under the said authorisation, on Free On Board basis, which is to be fulfilled within an export obligation period of six years from the date of issue of the said authorisation:

Provided that additional duty of customs shall not be taken for computation for the purpose of fixation of export obligation when the Cenvat Credit in respect of additional duty of customs has not been taken:

Provided further that the export obligation shall be 75% of the export obligation specified above when fulfilled by export of following green technology products, namely, equipment for solar energy decentralised and grid connected products, bio-mass gassifier, bio-mass or waste boiler, vapour absorption chillers, waste heat boiler, waste heat recovery units, unfired heat recovery steam generators, wind turbine, solar collector and parts thereof, water treatment plants, wind mill and wind mill turbine or engine, other generating sets - wind powered, electrically operated vehicles – motor cars, electrically operated vehicles – lorries and trucks, electrically operated vehicles – motor cycle and mopeds, and solar cells:

Provided also that for units located in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura, the export obligation shall be 25% of the export obligation specified above:

Provided also that where a sick unit is notified by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) or where a rehabilitation scheme is announced by the concerned State Government in respect of sick unit for its revival, the export obligation may be fulfilled within the time period allowed by the Regional Authority as per the rehabilitation package prepared by the operating agency and approved by BIFR or rehabilitation department of State Government. In cases where the time period is not specified in the rehabilitation package, the export obligation may be fulfilled within the time period allowed by the Regional Authority which shall not exceed twelve years:

Provided also that the export obligation shall be 50% of the export obligation specified above to be fulfilled within a period of six years in the case of spares (including refurbished/reconditioned spares), moulds, dies, jigs, fixtures, tools and refractory for initial lining, for the existing plant and machinery (imported earlier, under para 5.23 of Handbook of Procedures Volume 1 or otherwise), subject to the condition that the CIF value of import of the above spares, etc is limited to 10% of the CIF value of the plant and machinery imported under the authorisation (para 5.23 of Handbook of Procedures Volume 1) or 10% of the book value of the plant and machinery imported earlier otherwise than under para 5.23 of Handbook of Procedures Volume 1, as the case may be;

(8) that the duty remission granted as duty credit in the said scrip bears the same proportion to the amount which is the basic customs duty on the goods imported under the said authorisation which were considered for fixation of export obligation, as the extent of export obligation fulfilled (over and above the average export obligation) bears to the total export obligation:

Explanation 1. – For the purpose of condition (8),-

- (a) the amount of duty remission shall not include the duty paid, any portion of which has been rebated, including by way of duty drawback;
- (b) the amount of duty remission shall not include the duty paid which are not assessed finally;
- (c) extent of export obligation fulfilled shall be the export obligation fulfilled till the last export included in the said scrip less the export obligations fulfilled that have been counted towards the previously issued duty credit scrips against the said authorisation;
- (d) in condition (c) above, the export obligation fulfilled till the last export included in the said scrip shall be taken as the total export obligation fulfilled in the following cases –
 - (i) where the authorisation holder fulfills seventy five percent. (75%) or more of the export obligation as specified in condition (7) [over and above hundred percent. (100%) of the average export obligation], within half of the period specified for export obligation as mentioned in said condition (7), in which case the balance export obligation shall stand condoned;
 - (ii) where the Regional Authority regularises shortfall, in the export obligation as specified in condition (7), not exceeding five per cent. (5%) of such export obligation, in which case the said shortfall shall be condoned;
- (e) the *Explanation 2* to this notification relating to 'Export obligation' shall apply severally to each duty credit scrip, including the said scrip, issued against the said authorisation;
- (f) the exports and supplies made within the export obligation period specified in condition (7) shall count towards fulfillment of export obligation;
- (g) for fulfillment of export obligation, the payments against exports/supplies should have been realised.

(9) that where the first proviso to condition (7) is applied, the Cenvat Credit in respect of additional duty of customs shall not been taken and at the time of registration of the said scrip a certificate, from the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, to the effect that Cenvat Credit in respect of additional duty of customs on goods imported

under the said authorisation has not been taken, is produced by the authorisation holder before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be:

Provided that when the authorisation holder is not registered with Central Excise, he may produce the said certificate on self-certification basis;

(10) that the duty remission in the said scrip does not relate to duties paid on the imports made under the said authorisation which have not been installed and put to use;

(11) that the duty remission in the said scrip has not been obtained as a consequence of indigenous sourcing of capital goods;

(12) that the said scrip is issued, on request of the authorisation holder in form ANF5B for duty remission, by the Regional Authority specifying the same port of registration as mentioned in the said authorisation and it indicates details of the said authorisation, total export obligation fixed and its calculation, details of previous duty credit scrips issued against the said authorisation and the calculation of duty credit;

(13) that the imports under the said authorisation, the exports for fulfilling the export obligations and import of goods against the said scrip are undertaken through the seaports, airports or through the Inland Container Depots or through the Land Customs Stations as mentioned in the Table 2 annexed hereto or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other seaport, airport, inland container depot or through a land customs station within his jurisdiction;

(14) that for the purposes of registration, the said scrip is produced by the authorisation holder at the specified port of registration before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, along with –

- (a) the said authorisation and the bill(s) of entry under which the imports under the said authorisation were made on payment of applicable duties in cash;
- (b) evidence showing the extent of export obligation fulfilled within the export obligation period;
- (c) certificate confirming installation and use as prescribed in condition (4) above;
- (d) certificate that Cenvat Credit has not been taken as prescribed in condition (9) above, where applicable;
- (e) undertaking from the authorisation holder to the effect that,-
 - (i) the goods imported under the said authorisation have not been disposed of or transferred by sale or lease or any other manner till the date of last export against which the said scrip is issued;
 - (ii) the duty remission in the said scrip does not include the duty paid, any portion of which has been rebated, including by way of duty drawback; and
 - (iii) all the conditions have been complied with respect to the duty credit in the said scrip,

and the said Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, as the case may be, upon being satisfied, allows the said scrip to be registered and the Customs authority endorses details of the said scrip and the remark "Drawback not available on re-export" on the bill(s) of entry, and registers the said scrip;

(15) that the said scrip and goods imported against it shall be freely transferable;

(16) that the said scrip is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit of the duties leviable on the goods and the proper officer taking into account the debits already made under this exemption debits the duties leviable on the goods, but for this exemption;

(17) that the validity of the said scrip shall be eighteen months from the date of issue and the said scrip shall be valid on the date on which actual debit of duty is made;

(18) that where the importer, under this notification, does not claim exemption from the additional duty of customs leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) he shall be deemed not to have availed the benefit under this notification for the purpose of calculation of the said additional duty of customs;

(19) that the benefit under this notification shall not be available to the items listed in Appendix 37B of the Handbook of Procedures Volume 1;

(20) that the importer shall be entitled to avail of the drawback or Cenvat credit of additional duty leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act against the amount debited in the said scrip.

Explanation 2. – For the purpose of this notification, -

(A) "Capital goods" has the same meaning as assigned to it in Paragraph of 9.12 of the Foreign Trade Policy;

(B) "Common Service Provider" (CSP) means a service provider who is designated or certified as a Common Service Provider by the DGFT, Department of Commerce or State Industrial Infrastructural Corporation in a Town of Export Excellence;

(C) "Export obligation",-

(i) means obligation on the authorisation holder to export to a place outside India, goods manufactured or capable of being manufactured or services rendered by the use of goods imported under the said authorisation and the export obligation shall be over and above the average level of exports achieved by the authorisation holder in the preceding three licensing years for the same and similar products within the export obligation period and such average shall be the arithmetic mean of export performance in the last three years for the same and similar products:

Provided that up to fifty percent. (50%) of the export obligation may also be fulfilled by export of other good(s) manufactured or service(s) provided by the authorisation holder or his

group company or managed hotel, which has the said authorisation under which imports were made subject to the condition that in such cases, additional export obligation imposed shall be over and above the average exports achieved by the authorisation holder or his group company or managed hotel in preceding three years for both the original and the substitute product(s) / service(s):

Provided further that in case of export of goods relating to handicraft, handlooms, cottage, tiny sector, agriculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry, sericulture, carpet, coir and jute, the authorisation holder shall not be required to maintain the average level of exports:

Provided also that in case of export of goods relating to aquaculture (including fisheries), the authorisation holder shall not be required to maintain the average level of exports subject to the condition that said authorisation has been obtained for goods other than fishing trawlers, boats, ships and other similar items:

Provided also that the goods, excepting tools, imported under said authorisation by the aforesaid sectors, shall not be allowed to be transferred for a period of five years from the date of imports even in cases where export obligation has been fulfilled. Transfer of capital goods would, however, be permitted within the group companies, after fulfillment of export obligation but before five years from the date of imports, under intimation to Regional Authority and jurisdictional Central Excise Authority:

Provided also that exports made to such countries as notified by Director General of Foreign Trade, shall not be counted for fixing the average level of exports:

Provided also that exports against only such shipping bills which mention the authorisation number and date of the said authorisation shall be counted for the fulfillment of the export obligation;

Provided also that in the case of authorisation issued to a CSP, -

- (a) the reference to 'authorisation holder' in this Explanation shall be taken to mean a reference to 'CSP and specific users whose details are informed prior to export by CSP to the Regional Authority';
- (b) for the exports by users of the common service to be counted towards fulfilment of export obligation of CSP, the respective shipping bills of the users of common service shall contain the authorisation details of the CSP and the concerned Regional Authority shall be informed about the details of the users prior to such export; and
- (c) the exports counted against the authorisation shall not be counted towards fulfilment of other specific export obligations against all other authorisations issued under

Chapter 5 of the Foreign Trade Policy, including para 5.23 of Handbook of Procedures Volume 1;

(II) shall be fulfilled through physical exports and the export proceeds realised in freely convertible currency. However the following categories of supplies, shall also be counted towards fulfillment of export obligation:

(a) deemed exports, namely:

(i) supply of goods against Advance Authorisation/Advance Authorisation for Annual Requirement/ Duty Free Import Authorisation (DFIA);

(ii) supply of goods to Export Oriented Units (EOUs) or Software Technology Parks (STPs) or Electronics Hardware Technology Parks (EHTPs) or Bio-Technology Parks (BTPs);

(iii) supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies or Funds as notified by the Department of Economic Affairs (DEA), the Ministry of Finance (MOF) under International Competitive Bidding (ICB) in accordance with procedures of those agencies or Funds, where legal agreements provide for tender evaluation without including customs duty; supply and installation of goods and equipments (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral agencies or Funds as notified by DEA, MOF under ICB, in accordance with procedures of those agencies/Funds, where bids may have been invited and evaluated on the basis of Delivery Duty Paid (DDP) prices for goods manufactured abroad;

(iv) supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by a notification, permits import of such goods at zero customs duty and the supply is made under ICB procedure;

(v) supply of goods to mega power projects as provided in sub-clause (ii) of clause (f) of para 8.2 of Foreign Trade Policy;

(vi) supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as provided in clause (j) of para 8.2 of Foreign Trade Policy;

(b) supply of ITA-1 items to Domestic Tariff Area, provided realization is in free foreign exchange;

(c) royalty payments received in freely convertible currency and foreign exchange received for Research and Development (R&D) services; and

(d) payments received in rupee terms for port handling services in terms of chapter 9 of the Foreign Trade Policy.

665 47/13-6

(D) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy 2009-2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, No.1 (RE - 2012) /2009-2014 dated the 5th June 2012, as amended from time to time;

(E) "Handbook of Procedures Volume 1" means the Handbook of Procedures Volume 1, 2009-14, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 *vide* public notice of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, No.01 (RE - 2012)/2009-2014, dated the 5th June, 2012, as amended from time to time;

(F) "Manufacture" has the same meaning as defined in clause (f) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);

(G) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation including a duty credit scrip under the said Act;

(H) "Town of Export Excellence" (TEE) means a selected town producing goods of Rs. 750 Crore or more based on potential of growth in exports. However, for TEE in handloom, handicraft, agriculture and fisheries sector the threshold limit would be Rs.150 Crore.

TABLE 1

S. No.	Description of goods
1.	Capital goods for pre-production, production and post-production including second hand capital goods.
2.	Capital goods in Semi Knocked Down (SKD)/Completely Knocked Down (CKD) conditions to be assembled into capital goods by the authorisation holder.
3.	Spare parts of CIF value upto 10% of the CIF value of goods specified at Serial Nos.1 and 2 as actually imported and required for maintenance of capital goods so imported, assembled, or manufactured.
4.	Spare parts of CIF value upto 10% of the book value of the existing plant and machinery of the authorisation holder.

TABLE 2

S.No.	Port, ICD, LCS	Located at
1.	Seaports	Bedi (including Rozi-Jamnagar), Chennai, Cochin, Dahej, Dharamtar, Haldia (Haldia Dock complex of Kolkata port) Kakinada, Kandla, Kolkata, Krishnapatnam, Ennore (Tamilnadu) and Karaikal (Union territory of Puducherry), Magdalla, Mangalore, Marmagoa, Muldwarka, Mumbai, Mundhra, Nagapattinam, Nhava Sheva, Okha, Paradeep, Pipavav, Porbander, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam and Vadinar.

S.No.	Port, ICD, LCS	Located at
2.	Airports	Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Chennai, Cochin, Coimbatore, Dabolim (Goa), Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Lucknow (Amausi), Mumbai, Nagpur, Rajasansi (Amritsar), Srinagar, Trivandrum, Varanasi and Visakhapatnam.
3.	Inland Container Depots	Agra, Ahmedabad, Anaparthi (Andhra Pradesh), Babarpur, Bangalore, Bhadohi, Bhatinda, Bhilwara, Bhiwadi, Bhusawal, Chettipalayam (Tamilnadu), Chheharata (Amritsar), Coimbatore, Dadri, Dappar (Dera Bassi), Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Delhi, Dhannad Rau (District Indore), Dighi (Pune), Durgapur (Export Promotion Industrial Park), Faridabad, Garhi Harsaru, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Irugur Village (Tamilnadu), Irungattukottai (SIPCOT Industrial Park, Kattrambakkam Village, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, Tamilnadu), Jaipur, Jalandhar, Jamshedpur, Jodhpur, Kanpur, Karur, Kheda (Pithampur, District Dhar), Kota, Kundli, Loni (District Ghaziabad), Ludhiana, Madurai, Malanpur, Mandideep (District Raisen), Marripalem Village (in Edlapadu Taluk of District Guntur), Miraj, Moradabad, Nagpur, Nasik, Patli (Gurgaon), Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Pondicherry, Raipur, Rewari, Rudrapur (Nainital), Salem, Singanalur, Surat, Surajpur, Talegaon (District Pune), Thudiyalur (Tamilnadu), Tirupur, Tondiarpet (TNPM) in Chennai, Tuticorin, Udaipur, Vadodara, Varanasi, Veerapandi (Tamilnadu) and Waluj (Aurangabad).
4.	Land Customs Stations	Agartala, Amritsar Rail Cargo, Attari Road, Changrabandha, Dawki, Ghojadanga, Hilli, Jogbani, Mahadipur, Nepalganj Road, Nautanva (Sonauli), Petrapole, Ranaghat, Raxaul, Singhabad and Sutarkhandi.

[F. No. 605/12/2012-DBK (Pt)]

RAJIV TALWAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2013

सं. 06/2013-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 100(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में अनिवार्य है, एतद्वारा माल की विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 (निर्यात संवर्धन) पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम के अंतर्गत पैराग्राफ 5.11 के अनुसार किसी क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यात उपरांत ईपीसीजी इयूटी क्रेडिट स्क्रिप (3% ईपीसीजी प्रकार) के अंतर्गत भारत में आयात होने पर निम्नलिखित प्रकार से छूट प्रदान करती है जिसमें पूरा किए गए निर्यात देयता के अनुपात में शुल्क वापसी का प्रावधान है (जिसे इसके बाद संबंधित स्क्रिप कहा गया है) :-

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के तहत उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क।

2 इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, नामतः -

(1) यह कि विदेश व्यापार नीति की प्रक्रिया पुस्तिका खण्ड 1 के पैराग्राफ 5.23 के अंतर्गत प्राधिकार (जिसे इसके बाद कथित प्राधिकार कहा गया है) जिसने ईपीसीजी इयूटी स्क्रिप स्कीम (3% ईपीसीजी प्रकार) का विकल्पक चुना है क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा एक आवेदक को (जिसे इसके बाद कथित प्राधिकार धारक कहा गया है) जारी की गई है जिसके अंतर्गत संबंधित स्क्रिप निर्यात उपरांत जारी किए गए मान्य प्राधिकार के अंतर्गत प्रदान की गई है:

(2) यह कि कथित प्राधिकार इयूटी छूट के अंतर्गत आयात के लिए नहीं है बल्कि संलग्न तालिका-1 में निर्दिष्ट माल के नकद लागू शुल्क की पूर्ण अदायगी पर आयात के लिए है; जहां सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के तहत (तत्पश्चात मूल सीमाशुल्क इयूटी के रूप में संदर्भित) पर सीमाशुल्क 3% से अधिक है;

(3) यह कि उक्त प्राधिकार को उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट आयात पत्तन पर पंजीकृत किया गया है और वह माल जिसे इसके साथ संलग्न तालिका 1 में विनिर्दिष्ट किया गया है नकद लागू शुल्क की पूर्ण

अदायगी पर उक्त प्राधिकार के जारी करने की तारीख से छत्तीस माह के अंदर आयात किया गया हो तथा उक्त प्राधिकार आयात ब्यौरे की मंजूरी के लिए माल की निकासी के समय उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा उन मामलों में जहां प्राधिकार धारक ने विकल्प दिया है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क के संबंध में सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अंतर्गत प्रदत्त सेनवेट क्रेडिट (जिसे बाद में सीमाशुल्क की अतिरिक्त इयूटी के रूप में संदर्भित किया गया), को नहीं लिया जाएगा, समुचित अधिकारी प्राविष्टि के बिल पर "सेनवेट क्रेडिट के लिए वैध नहीं" की अभिपुष्टि करता है;

बशर्त कि एक परवर्ती प्रभार के लिए उस प्राधिकार के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण एवं आरंभिक प्रभार के लिए उत्प्रेरक का आयात किया गया है, उन मामलों को छोड़कर जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी संयंत्र, मशीनरी अथवा उपकरण तथा आरंभिक प्रभार के लिए उत्प्रेरक के आयात के उपरांत परवर्ती प्रभार के लिए उत्प्रेरक हेतु अलग प्राधिकार जारी करता है।

बशर्त यह भी शर्त है कि मोटर कारों, स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों अथवा सभी उद्देश्यों वाले वाहनों के आयात की अनुमति केवल होटलों, ट्रेवल एजेंटों, दूर आपरेटरों या दूर ट्रांसपोर्ट आपरेटरों और गोल्फ रिसोर्ट्स के स्वामित्व/ संचालन वाली कंपनियों को ही निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी:

- (i) होटल ट्रेवल और टूरिज्म तथा गोल्फ टूरिज्म सेक्टर से चालू वर्ष में और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में कुल विदेशी मुद्रा अर्जन डेढ़ करोड़ रुपये या इससे अधिक हो;
- (ii) किसी लाइसेंसिंग वर्ष में मोटर कारों, स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों अथवा सभी उद्देश्यों वाले वाहनों के आयात के लिए जारी सभी ई पी सी जी प्राधिकारों पर शुल्क में बचत की गई धनरशि होटल, ट्रेवल्स एवं टूरिज्म एवं गोल्फ टूरिज्म सेक्टरों में पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में अर्जित औसत विदेशी मुद्रा के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए; और
- (iii) आयातित वाहन का पंजीकरण इस प्रकार होगा कि वाहन का प्रयोग केवल टूरिज्म के उद्देश्य के लिए हो। आयात की तारीख से छः माह के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति वाहन के आयात की पुष्टि के रूप में संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास जमा की जाएगी:

बशर्त यह भी कि इस अधिसूचना के तहत आधुनिक अव-संरचना निर्माण के उद्देश्य से रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात का लाभ केवल उन्हीं खुदरा विक्रेताओं को दिया जाएगा, जिसके पास न्यूनतम क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर हो।

(4) यह कि उक्त प्राधिकार के अंतर्गत आयातित माल को उक्त स्क्रिप के पंजीयन के समय प्राधिकार धारक के कारखाने में उनके आयात के पश्चांत स्थापित किया जाता है तथा उपयोग किया जाता है, ऐसे स्थापन तथा माल के उपयोग के बारे में क्षेत्राधिकार वाले उपायुक्त सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जैसा भी मामला हो, इस पुष्टि का प्रमाण पत्र उक्त प्राधिकार के विरुद्ध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स के

निर्गम के लिए प्राधिकार धारक द्वारा प्रथम आवेदन की तिथि से पहले जारी किया गया हो, को उपायुक्त सीमाशुल्क तथा सहायक सीमाशुल्क जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है;

बशर्ते कि किसी सामान्य सेवा प्रदात सहित, यदि कोई प्राधिकार धारक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकृत नहीं है अथवा यदि प्राधिकार धारक कोई सेवा प्रदाता (सामान्य सेवा प्रदाता को छोड़कर) है, जैसा भी मामला है, तो वह स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी स्थापन तथा उपयोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है;

बशर्ते यह भी कि समर्थनकारी विनिर्माता अथवा विक्रेता वाले व्यापारी प्राधिकार धारक तथा विनिर्माता प्राधिकार धारक के मामले में ऐसे अन्य व्यक्ति के कारखाने अथवा परिसर में पूंजीगत माल स्थापित किया जा सकता है जिसका नाम व पता उक्त प्राधिकार पर एवं निर्यात देयता की पूर्ति के निर्यात बिल पर पृष्ठांकित किया जाता है तथा ऐसा अन्य व्यक्ति संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग निर्यात देयता एवं अलग-अलग शर्तों को पूरा करता है। यह सीएसपी पर लागू नहीं होगा;

बशर्ते यह भी कि एगो एक्सपोर्ट जोन में स्थित एगो इकाई अथवा एगो एक्सपोर्ट जोन में सेवा प्रदाता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकार क्षेत्र के उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो को सूचित करते हुए उस एगो एक्सपोर्ट जोन के भीतर कैपिटल गुड्स को लेकर जाए, इस शर्त के अधीन कि प्राधिकार धारक ऐसे आवागमन के सही सही रिकॉर्ड रखेगा;

(5) यह कि उक्त प्राधिकार के अंतर्गत आयातित माल दोषपूर्ण अथवा उपयोग के लिए ठीक नहीं पाया जाता है तो उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात शुल्क की भुगतान तिथि से तीन वर्ष के भीतर विदेशी आपूर्तिकर्ता को वापस निर्यात किया जा सकता है-

(क) पुनः निर्यात होने के समय, उपायुक्त सीमाशुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमाशुल्क जैसा भी मामला हो यह पहचान करेगा कि वे वही मर्दे हैं जिनका आयात किया गया था;

(ख) जब इयूटी प्रतिअदायगी के अंतर्गत मर्दों को पुनः निर्यात किया जाता है तो पुनः निर्यात पर आयात के समय देय इयूटी के लिए इयूटी क्रेडिट स्ट्रिप के रूप में इयूटी में किसी प्रकार की वापसी की मंजूरी नहीं है;

(ग) संबंधित प्राधिकार के अंतर्गत आयातित मर्दों पर देय इयूटी भुगतान के संबंध में इयूटी क्रेडिट स्ट्रिप के रूप में इयूटी की वापसी का दावा करने के बाद मर्दों के पुनः निर्यात के समय इयूटी प्रतिअदायगी की मंजूरी नहीं होगी तथा निर्यात देयता भी पुनः निर्धारित नहीं की जाएगी;

(6) यह कि उक्त प्राधिकार के अंतर्गत आयातित माल को निपटान अथवा बिक्री अथवा लीज अन्य किसी प्रकार से संबंधित स्ट्रिप के जारी होने के समक्ष किए गए पिछले निर्यात की तारीख तक स्थानांतरित नहीं किया गया है;

(7) यह कि कुल निर्यात देयता जो पूरा किया जाना है जो कि निम्नलिखित के बीच के अंतर की राशि के 8 गुना के पच्चासी प्रतिशत (85%) के बराबर है, नामतः

(क) उक्त प्राधिकार के अंतर्गत आयातित माल पर भुगतान की गई मूल सीमाशुल्क की राशि, अतिरिक्त सीमाशुल्क, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 94 के अंतर्गत लागू शिक्षा उपकर तथा वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 के अंतर्गत माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर की संगणना का योग;

और

(ख) संबंधित माल के निर्धारण मूल्य का 3 प्रतिशत तथा निर्धारण किए गए मूल्य के संबंधित 3 प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई राशि के रूप में उपकर की संगणना का योग,

जो कि फ्री ऑन बोर्ड आधार पर होगी, जिसे संबंधित प्राधिकार के जारी होने की तारीख से 8 वर्ष की निर्यात देयता अवधि के भीतर पूरा किया जाना है,

बशर्ते कि सीमाशुल्क की अतिरिक्त इयूटी का निर्यात देयता नियत करने हेतु संगणन नहीं किया जाएगा जब सीमाशुल्क की अतिरिक्त इयूटी के संबंध में सेनवेट क्रेडिट ले लिया गया हो:

बशर्ते यह भी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी उत्पादों अर्थात् सौर ऊर्जा के विकेन्द्रीकृत तथा ग्रिड से जुड़े उपकरण, बायोमास तथा बेस्ट बॉयलर, वाष्प संविलियन चिलर, वेस्ट हीट बॉयलर, वेस्ट हीट बॉयलर, वेस्ट हीट रिकवरी एकक, अनफाईर्ड हीट रिकवरी जेनरेटर, विंड टरबाइन, सोलर कलैक्टर तथा उसके हिस्से, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, विंड मिल तथा विंड मिल टरबाइन अथवा ईजन, अन्य जनरेटिंग सेट-विंड पॉवरड, विद्युत से चलने वाले वाहन-मोटर कार, विद्युत से चलने वाले- लोरी तथा ट्रक, विद्युत से चलने वाले वाहन- मोटर साइकिल तथा मोपड और सोलर सेल के निर्यात द्वारा पूरा किए जाने पर निर्यात देयता उपर्युक्त विनिर्दिष्ट निर्यात देयता के 75 % होगी:

बशर्ते यह भी कि अरुणांचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा में स्थित इकाईयों के लिए निर्यात देयता उपर्युक्त विनिर्दिष्ट निर्यात देयता के 25% होगी:

बशर्ते यह भी कि जहां इयूटी की राशि का भुगतान नकद किया गया है जो 100 करोड़ रुपये से कम नहीं है जिसे निर्यात देयता के निर्धारण हेतु विचार किया गया था अथवा जहां उक्त प्राधिकार एशी निर्यात क्षेत्र जैसा कि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाए में यूनिट को जारी किया गया है, निर्यात देयता को प्राधिकार जारी करने की तारीख से 12 वर्षों की अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि जहां कोई रुग्ण इकाई औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अधिसूचित है अथवा जहां रुग्ण इकाई के संबंध में इसके पुनर्संजीवन के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा कोई पुनर्वास स्कीम घोषित की जाती है, वहां निर्यात देयता संचालक एजेंसी द्वारा तैयार और बीआईएफआर/ राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के

क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमत्य अवधि के अंतर्गत पूरी की जाएगी। जिन मामलों में पुनर्वास पैकेज में समयावधि विनिर्दिष्ट नहीं है उनमें निर्यात देयता लाइसेंसिंग प्राधिकरण अथवा क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमत्य समयावधि के अंतर्गत पूरी की जाएगी जो बारह वर्षों से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि जहां पूंजीगत माल का आयात कृषि इकाईयों और छोटे और कुटीर उद्योग क्षेत्र की इकाईयों द्वारा किया जाता है, वहां पर निर्यात देयता आयातित माल पर बचाए गए शुल्क के छह गुने के बराबर जैसा कि प्राधिकार में विनिर्दिष्ट है, निश्चित की जाएगी, या ऐसी उच्चतर राशि के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार को जारी किए जाने की तारीख से बारह वर्ष के भीतर निश्चित की जाएगी:

बशर्ते यह भी कि जहां पूंजीगत माल का विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.8 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए आयात किया जाता है या विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.2 में परिभाषित लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा, जैसा भी मामला हो, आयात किया जाता है, वहां निर्यात देयता प्राधिकार में यथा विनिर्दिष्ट आयातित माल पर बचाए गए शुल्क से 8 गुने के जगह 6 गुने के बराबर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित अधिक धनराशि की निर्यात देयता प्राधिकारी जारी होने के आठ वर्ष के भीतर निश्चित की जाएगी। आगे शर्त है कि एस एस आई इकाईयों के मामले में इस योजना के अंतर्गत ऐसे आयातित पूंजीगत माल की लैंड सी आई एफ मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा और ऐसे आयात के बाद संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश एस एस आई सीमा से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते यह भी प्रावधान किया गया कि वर्तमान संयंत्र और मशीनरी (पहले प्रक्रिया पुस्तिका खंड-1 के पैरा 5.23 अंतर्गत अथवा अन्य रूप से पूर्व में आयातित) के लिए पुर्जों (पुनः मरम्मत/तैयार किए गए पुर्जों सहित), ढांचों, रंगों, जुगतों, जुड़नारों, यंत्रों, प्रारम्भिक लाइनिंग के लिए प्रतिरक्षितों और प्रारम्भिक प्रभार के लिए उत्प्रेरकों को जिन्हें पहले प्रक्रिया पुस्तिका खंड-1 के पैरा 5.23 के अंतर्गत इस शर्त के अधीन आयातित करने की अनुमति दी जाएगी कि ऊपर विहित सामान्य निर्यात देयता के 50% के समतुल्य निर्यात देयता प्राधिकार जारी होने की तिथि से 8 वर्षों में पूरी की जाएगी बशर्ते कि उक्त पुर्जों आदि के आयात का सी आई एफ मूल्य प्राधिकार के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी के सी आई एफ मूल्य के 10% तक सीमित होगा अथवा के अलावा अन्य रूप से पूर्व आयातित संयंत्र और मशीनरी के बुक वैल्यू के 10% जैसा मामला हो, तक सीमित होगा;

(8) यह कि संबंधित स्क्रिप में इयूटी क्रेडिट के रूप में दी गई इयूटी की वापसी उसी राशि के अनुपात में होनी चाहिए जो संबंधित प्राधिकार के अंतर्गत आयात किए गए माल पर मूल सीमा शुल्क इयूटी संबंधित माल पर निर्धारण योग्य मूल्य से 3% कम है जिसे निर्यात देयता के निर्धारण हेतु विचार किया गया था जो निर्यात देयता पूरी किए जाने की सीमा के रूप में (जो औसत निर्यात देयता से अधिक हो) की कुल निर्यात देयता के लिए है:

स्पष्टीकरण 1 - शर्त (8) के उद्देश्यार्थ-

- (क) संबंधित स्क्रिप में इयूटी में दी गई छूट में इयूटी के ऐसे भुगतान को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें से किसी अंश पर छूट दी गई हो, इयूटी प्रति अदायगी के माध्यम सहित;
- (ख) इयूटी वापसी की राशि में इयूटी के भुगतान वाली उस राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जिसका अंतिम रूप से आंकलन नहीं किया गया है;
- (ग) पूरा किए गए निर्यात देयता की सीमा संबंधित स्क्रिप में शामिल किए गए अंतिम निर्यात तक पूरे किए गए निर्यात देयता में से होगी। निर्यात देयता में से संबंधित प्राधिकार के समक्ष पिछली बार जारी इयूटी क्रेडिट स्क्रिप जिसकी पहले संगणना की जा चुकी है में से घटा दी जाएगी;
- (घ) उपर्युक्त शर्त (ग) में संबंधित स्क्रिप में शामिल किए गए पिछले निर्यात तक पूरे किए गए निर्यात देयता को निम्न मामलों में समग्र निर्यात देयता के रूप में माना जाएगा -

(i) जहां प्राधिकार धारक उक्त शर्त (7) यथा उल्लिखित निर्यात देयता के लिए विहित अवधि के भीतर निर्यात देयता (औसत निर्यात देयता के सौ प्रतिशत (100%) से अधिक) का पचहत्तर प्रतिशत (75%) अथवा इससे अधिक, जैसा कि शर्त (7) में निर्दिष्ट किया गया है विहित अवधि की आधी अवधि में पूरा करता है उस मामले में बकाया निर्यात देयता को समाप्त कर दिया जायेगा;

(ii) जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी शर्त (7) में यथा विहित ऐसे निर्यात दायित्व के पांच प्रतिशत (5%) तक निर्यात देयता में कमी को विनियमित करता है, उस मामले में उक्त कमी माफ कर दी जाएगी।

(ड.) निर्यात देयता से संबंधित इस अधिसूचना का स्पष्टीकरण 2, संबंधित प्राधिकार के समक्ष जारी संबंधित स्क्रिप सहित प्रत्येक इयूटी स्क्रिप पर अलग-अलग से लागू होगी;

(च) शर्त (7) में विनिर्दिष्ट निर्यात देयता अवधि के भीतर किया गया निर्यात तथा आपूर्ति की निर्यात देयता पूरा करने हेतु संगणना की जाएगी;

(छ) निर्यात देयता की पूर्ति हेतु, निर्यात/ आपूर्ति के समक्ष भुगतान प्राप्ता किया गया हो;

(9) यह कि जहां शर्त (7) के प्रथम परंतुक को लागू किया जाता है, सीमाशुल्क की अतिरिक्त इयूटी के संबंध में सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया जाएगा तथा उक्त स्क्रिप के पंजीयन के समय क्षेत्राधिकार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जैसा भी मामला हो, से उपायुक्त सीमाशुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमाशुल्क जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्राधिकार धारक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्राधिकार के अंतर्गत आयातित माल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क के संबंध में सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया गया है:

बशर्ते कि जब प्राधिकार धारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में पंजीकृत नहीं हो तो वह स्वयं-प्रमाणन आधार पर संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकता है;

(10) यह कि संबंधित स्क्रिप पर में इयूटी हेतु दी गई वापसी का संबंध संबंधित प्राधिकार के अंतर्गत किए गए आयात पर दी गई ऐसी इयूटी जिसका स्थापन तथा उपयोग नहीं किया गया हो से नहीं है;

(11) यह कि संबंधित स्क्रिप में इयूटी में दी गई छूट पूंजीगत माल की इंडिजिनश सोर्सिंग के परिणाम स्वरूप नहीं की गई हो;

(12) यह कि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा संबंधित स्क्रिप को इयूटी में छूट हेतु प्रपत्र एएनएफ 5 बी में प्राधिकार धारक के अनुरोध पर जारी किया गया हो यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि पंजीयन का बंदरगाह वहीं है जैसा कि संबंधित प्राधिकार में उल्लिखित किया गया है तथा उसमें संबंधित प्राधिकार के समक्ष जारी पिछली क्रेडिट स्क्रिप तथा इयूटी क्रेडिट की संगणना, संबंधित प्राधिकार, कुल नियत निर्यात देयता का विवरण हो;

(13) यह कि संबंधित प्राधिकार के अंतर्गत आयात, निर्यात देयता पूरा करने हेतु किया निर्यात तथा संबंधित स्क्रिप के विरुद्ध मर्दों का आयात समुद्री बंदरगाहों, हवाई अड्डों अथवा इनलैंड कन्टेनर डिपो अथवा भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों के माध्यम से किया गया हो जैसा कि साथ संलग्नक तालिका-2 में अथवा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित किसी विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किया गया हो;

बशर्ते कि सीमाशुल्क आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक नोटिस द्वारा और उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानपत्तन, इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा लैंड कस्टम स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति प्रदान कर सकते हैं;

(14) यह कि पंजीयन के उद्देश्य हेतु, प्राधिकार धारक द्वारा संबंधित स्क्रिप को सीमाशुल्क उप आयुक्त अथवा सीमाशुल्की सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित सहित पंजीकरण के विनिर्दिष्ट बंदरगाह पर प्रस्तुत किया गया हो-

(क) संबंधित प्राधिकार तथा संबंधित प्राधिकार के अंतर्गत आयात जहां प्रविष्टि के बिल द्वारा लागू इयूटी का नकद में भुगतान किया गया है;

(ख) निर्यात देयता अवधि के भीतर पूरा किए गए निर्यात की सीमा को दर्शाने वाले साक्ष्य।

(ग) स्थापन संपुष्टि तथा उपयोग प्रमाण-पत्र जैसा कि उपर्युक्त शर्त (4) में निर्धारित है।

(घ) इस बात का प्रमाण पत्र कि सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया गया है जैसा कि उपर्युक्त शर्त (9) में निर्धारित है, जहां लागू है।

(ड.) निम्न उद्देश्य हेतु प्राधिकार धारक से शपथ-पत्र-

(i) संबंधित प्राधिकार के अंतर्गत आयातित माल को निपटान अथवा बिक्री अथवा लीज अन्य किसी प्रकार से संबंधित स्क्रिप के जारी होने के समक्ष किए गए पिछले निर्यात की तारीख तक स्थानांतरित नहीं किया गया है;

(ii) संबंधित स्क्रिप में इयूटी में दी गई छूट में इयूटी के ऐसे भुगतान को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें से किसी अंश पर छूट दी गई हो, इयूटी प्रति अदायगी के माध्यम सहित; तथा

(iii) संबंधित स्क्रिप में इयूटी क्रेडिट के संबंध में सभी शर्तों का पालन किया गया है, तथा उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट होने पर उस स्क्रिप के पंजीयन की इजाजत देता है तथा सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित स्क्रिप के विवरण तथा इस टिप्पण का अनुसमर्थन करेगा की प्रविष्टि के बिल के स्थान पर “पुनः निर्यात पर प्रतिअदायगी उपलब्ध नहीं है” तथा संबंधित स्क्रिप का पंजीयन करता है।

(15) यह कि संबंधित स्क्रिप तथा उसके समक्ष आयात की गई मर्दे स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित होगी;

(16) यह कि संबंधित स्क्रिप मर्दों पर लगने वाली इयूटी के डेबिट हेतु अनापत्ति के समय उपयुक्त सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा उपयुक्त अधिकारी इस छूट के अंतर्गत पहले ही डेबिट की गई राशि को ध्यान में रखते हुए इस छूट के तहत, मर्दों पर लगने वाली इयूटी डेबिट करेगा;

(17) संबंधित स्क्रिप की वैधता उसके जारी होने के अठ्ठारह महीने तक रहेगी तथा संबंधित स्क्रिप उस तारीख को वैध हो जब इयूटी का वास्तविक डेबिट हुआ हो;

(18) जहां आयातकर्ता इस अधिसूचना के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अंतर्गत लगने वाले अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट का दावा नहीं करता है तो उसे संबंधित सीमाशुल्क की अतिरिक्त इयूटी की संगणना हेतु इस अधिसूचना के अंतर्गत लाभ लेने वाला नहीं माना जाएगा;

(19) यह कि इस अधिसूचना के अंतर्गत उन मर्दों को लाभ उपलब्ध नहीं होगा जिन्हें प्रक्रिया पुस्तिका खंड-I परिशिष्ट 37 ख में सूचीबद्ध किया गया है;

(20) यह कि आयातकर्ता को संबंधित स्क्रिप में से डेबिट की गई राशि के समक्ष प्रतिअदायगी अथवा संबंधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लगने वाली अतिरिक्त इयूटी के सेनवेट क्रेडिट की हमदारी होगी।

स्पष्टीकरण 2 – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए-

(क) “पूँजीगत माल” का वही अर्थ है जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.12 में दिया गया है।

(ख) “सामान्य सेवा प्रदाता” (सी एस पी) का अर्थ उस सेवा प्रदाता से है जिसे डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग द्वारा अथवा किसी उत्कृष्ट नगर में राज्य औद्योगिकी बुनियादी संरचना निगम द्वारा पदनामित अथवा प्रमाणित किया गया हो।

(ग) “निर्यात देयता”

(I) का अर्थ है प्राधिकार धारक पर भारत से बाहर उत्पादित/उत्पादन के लिए सक्षम अथवा इस अधिसूचना के दृष्टिकोण से आयातित पूंजीगत माल के उपयोग द्वारा दी गई सेवा पर देयता तथा निर्यात देयता के अंतर्गत उन्हीं उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में आयातक द्वारा प्राप्त निर्यात के औसत स्तर के अलावा होगी तथा ऐसी औसत उन्हीं उत्पादों के लिए विगत 3 वर्षों में निर्यात निष्पारदन का गणितीय औसत होगा:

बशर्ते कि निर्यात देयता के 50% को आयातक अथवा ई पी सी जी प्राधिकार वाले ग्रुप कंपनी/प्रबंधित होटल द्वारा उत्पादित अन्य माल अथवा प्रदान की गई सेवा के निर्यात द्वारा भी पूरा किया जा सकता है, परन्तु इस शर्त के अधीन ऐसे मामलों में लगाई गई अतिरिक्त निर्यात देयता पिछले तीन वर्षों में आयातक अथवा उसके ग्रुप कम्पनी/प्रबंधित होटल द्वारा मूल और वैकल्पिक उत्पाद/सेवा के लिए प्राप्त औसत निर्यात के अलावा होगी।

बशर्ते यह भी कि हस्तशिल्प, हैंडलूम, झोपड़ी, छोटे क्षेत्र, कृषि, पशु पालन, पुष्पकृषि, बागबानी, मत्स्यपालन, द्राक्ष-कृषि, मुर्गी पालन और रेशम-उत्पादन से संबंधित माल के निर्यात के मामले में आयातक द्वारा निर्यात का औसत स्तर बनाए रखना अपेक्षित नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि एकवाकल्चर (मत्स्य पालन सहित) से संबंधित माल के निर्यात के मामले में प्राधिकार धारक के लिए निर्यात का औसत स्तर बनाए रखना अपेक्षित नहीं होगा बशर्ते कि फिशिंग ट्रोलर्स, बोट, शिप एवं अन्य ऐसी मर्च को छोड़कर माल के लिए प्राधिकार प्राप्त कर लिया गया हो।

बशर्ते यह भी कि इस अधिसूचना के अंतर्गत आयातित औजारों को छोड़कर माल को उपर्युक्त क्षेत्रों द्वारा आयात की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए अंतरित करने की अनुमति नहीं होगी, उन मामलों में भी नहीं जहां निर्यात देयता पूरी कर ली गई हो। तथापि, पूंजीगत माल को निर्यात देयता पूरी करने के बाद परन्तु आयात की तिथि से पांच वर्षों के भीतर क्षेत्रीय प्राधिकारी और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को सूचना देते हुए ग्रुप कंपनियों के बीच अंतरित करने की अनुमति होगी।

बशर्ते यह भी कि केवल ऐसे निर्यात को निर्यात देयता को पूरा करने के लिए गिना जाएगा जिन निर्यात बिलों पर प्राधिकार सं. और तिथि का उल्लेख होगा:

बशर्ते यह भी कि केवल ऐसे निर्यात बिलों के लिए निर्यात को निर्यात देयता को पूरा करने के लिए गिना जाएगा जिन पर प्राधिकार सं. और तिथि का उल्लेख होगा।

बशर्ते यह भी कि किसी सामान्य सेवा प्रदाता को जारी प्राधिकार के मामले में निम्न:-

(क) इस स्पष्टीकरण में प्राधिकार धारक के संदर्भ का अर्थ सामान्य प्राधिकार धारक तथा ऐसे विशिष्ट प्रयोक्ता के संदर्भ में होगा जिसके विवरण के संदर्भ में होगा जिसके

विवरण के बारे में क्षेत्रीय प्राधिकारी को सामान्य सेवा प्रदाता द्वारा पहले ही सूचित किया जा चुका है।

(ख) सामान्य सेवा प्रदाता के निर्यात देयता की पूर्ति के लिए सामान्य सेवा के प्रयोक्ता द्वारा किए निर्यात की संगणना की जाएगी, सामान्य सेवा प्रदाता के प्रयोक्ताओं के संबंधित निर्यात बिलों में सामान्य सेवा प्रदाता को प्राधिकार विवरण निहित होगा तथा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऐसे निर्यात से पहले प्रयोक्ता के विवरण के बारे में सूचित किया जाएगा।

(ग) प्राधिकार के समक्ष निर्यात की प्रक्रिया पुस्तिका खंड-1 के पैरा 5.23 सहित विदेश व्यापार नीति के अध्याय-5 के अंतर्गत जारी अन्य सभी प्राधिकारों के समक्ष अन्य विशिष्ट निर्यातों की पूर्ति हेतु संगणना नहीं की जाएगी।

(II) को वास्तविक निर्यात के जरिए पूरा किया जाएगा और निर्यात प्राप्ति को आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल किया जाएगा। तथापि निम्नलिखित संवर्गों की आपूर्तियों को निर्यात देयता पूरी करने के लिए गिना जाएगा:

(क) सम निर्यात नामतः

(i) अग्रिम प्राधिकार/वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डी एफ आई ए) के संबंध में माल की आपूर्ति;

(ii) ई ओ यू अथवा एस टी पी अथवा ई एच टी पी अथवा बी टी पी को माल की आपूर्ति;

(iii) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आपई सी बी) के अंतर्गत अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/कोषों द्वारा उन एजेंसियों/कोषों की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्त पोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति, वहां विधिक करारों में सीमा शुल्क को शामिल किए बिना निविदा मूल्यांकन का प्रावधान है; आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आई सी बी के अंतर्गत अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/कोषों द्वारा उन एजेंसियों/कोषों की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए माल और उपस्करों (प्रमुख ठेकों की एकमात्र जिम्मेदारी) तथा उन्हें लगाना जहां बोलियां विदेश में उत्पादित माल के लिए डेलीवरी इयूटी पेड़ (डी डी पी) कीमतों के आधार पर आमंत्रित कर मूल्यांकन किया जाता हो;

(iv) किसी भी ऐसी परियोजना अथवा उद्देश्य के लिए माल की आपूर्ति जिनके संबंध में वित्त मंत्रालय अधिसूचना द्वारा शून्य सीमा शुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति प्रदान करता है और आपूर्ति आई सी बी प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है;

(v) मेगा पावर परियोजना हेतु मर्दों की आपूर्ति जैसा कि विदेश/व्यापार नीति के पैरा 8.2 के खंड (च) के उपखंड-II में प्रावधान किया गया है।

(vi) प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के द्वारा परमाणु बिजली परियोजनाओं के लिए मर्दों की आपूर्ति जैसा कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 के खंड (ज) में प्रावधान किया गया है।

- (ख) घरेलू टैरिफ क्षेत्र को आई टी ए-1 मदों की आपूर्ति बर्ते कि सरल विदेशी विनिमय वाली मुद्रा में वसूली हो;
- (ग) आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त रायल्टी भुगतान एवं आर एंड डी सेवाओं के लिए प्राप्त विदेशी विनिमय; और
- (घ) विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 9 के दृष्टिकोण से पोर्ट हैंडलिंग सेवाओं के लिए रुपए में प्राप्त भुगतान
- (घ) “विदेश व्यापार नीति” का अर्थ भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में संख्या 1(आर ई-2012)/2009-2014, दिनांक 5 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर संशोधित विदेश व्यापार नीति 2009-2014 से है;
- (ड.) “प्रक्रिया पुस्तिका खंड-I” का अर्थ भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I में संख्या 01 (आर ई-2012)/ 2009-2014 दिनांक 5 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर संशोधित प्रक्रिया पुस्तिका खंड-I, 2009-14 है;
- (च) “विनिर्माण” से वही अर्थ है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 (1994 का 1) की धारा 2 के खण्ड (च) में परिभाषित है;
- (छ) “क्षेत्रीय प्राधिकारी” का अर्थ है विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त विदेश व्यापार महा निदेशक अथवा उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत शुल्क क्रेडिट पर्ची सहित प्राधिकारिता दिए जाने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी;
- (ज) “उत्कृष्ट निर्यात नगर” का अर्थ 750 करोड़ अथवा निर्यात की उन्नति की उससे अधिक क्षमता वाला कोई चुना गया नगर है तथापि हैंडलूम, हैंडिक्राफ्ट, कृषि तथा मत्स्य पालन क्षेत्र में यह सीमा 150 करोड़ रुपये होगी।

सारणी 1

क्र.सं.	माल का विवरण
1	सेकेंड हैंड पूंजीगत माल सहित उत्पादन पूर्व, उत्पादन और उत्पादन के पश्चात पूंजीगत माल
2	आयातक द्वारा पूंजीगत माल के रूप में एसेम्बल करने के लिए एक केडी/ सी केडी में पूंजीगत माल शर्त (1) में उल्लिखित ईपीसीजी प्राधिकरण के अंतर्गत
3	ऐसे आयातित, एसेम्बल्ड अथवा उत्पादित पूंजीगत माल रख-रखाव के लिए वास्तव में आयातित और अपेक्षित क्रम सं. 1 और 2 में विनिर्दिष्ट माल के सीआईएफ मूल्य के 10% तक के सीआईएफ मूल्य वाले खुले पुर्जे
4	प्राधिकारधारी के वर्तमान संयंत्र और मशीनरी के बुक वैल्यू के 10% तक सीआईएफ मूल्य वाले खुले पुर्जे
5	मोटर कारों, स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों अथवा सभी उद्देश्यों वाले वाहन

सारणी 2

क्र.सं.	पत्तन, आईसीडी, एलसीएस	जहां स्थित हैं
1	समुद्र पत्तन	बेदी (रोजी-जामनगर सहित) चेन्नई कोचीन दहेज धरमतर, हल्दिया (कोलकाता बंदरगाह के हल्दिया डॉक) काकीनाडा कांडला कोलकाता कृष्णापट्टनम् एन्नोर (तमिलनाडु) और कराईकल (संघ राज्य क्षेत्र के पुडुचेरी) मंगडाल्ला मंगलौर मर्मागोवा मुलद्वारका मुंबई न्हावाशेवा ओखा पारादीप पीपावाव पोरबंदर सिक्का तूतीकोरिन विशाखापत्तनम् मूंदड़ा नागपट्टनम् और वाडिनार
2	हवाई पत्तन	अहमदाबाद बैंगलूर भुवनेश्वर चेन्नई कोचीन कोयंबटूर डाबोलिम (गोवा) दिल्ली हैदराबाद इंदौर जयपुर कोलकाता लखनऊ (अमौसी) मुंबई नागपुर राजासांसी (अमृतसर) श्रीनगर त्रिवेंद्रम वाराणसी और विशाखापट्टनम्
3	इनलैंड कंटेनर डिपो	आगरा अहमदाबाद अनापार्थी (आंध्र प्रदेश) बाबरपुर बंगलौर भदोही भटिंडा भीलवाड़ा भिवाड़ी भुसावल छेत्तीपाल्यम (तमिलनाडु) छेहाड़ता (अमृतसर) कोयंबटूर दादरी दापर (डेरा बस्सी) दौलताबाद (वंजारवाड़ी तथा मालीवाड़ा) दिल्ली धन्नाड राऊ (जिला इंदौर) डिगही (पुणे) दुर्गापुर (निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क) फरीदाबाद गहीं हरसारु गुवाहाटी गुंटूर हैदराबाद लुरुगुरु गांव (तमिलनाडु) इरुनगाडुकोट्टाई (एसआईपीसीओटी औद्योगिक पार्क) काट्टाराम्बक्कम गांव श्रीपेरुम्बुदुरतालुक कांचीपुरम जिला तमिलनाडु जयपुर जालंधर जमशेदपुर जोधपुर कानपुर करूर खेड़ा (पीथमपुर जिला धार) कोटा कुंडली लोनी (जिला गाजियाबाद) लुधियाना मदुराई मालानपुर मंडीदीप (जिला रायसेन) मरीपल्लेम गांव (जिला गुंटूर इडलापाडु तालुका में) मिराज मुरादाबाद नागपुर नासिक पाटली (गुडगांव) पिम्परी (पुणे) पीतमपुरा (इंदौर) पांडिचेरी रायपुर रेवाड़ी रुद्रपुर (नैनीताल) सेलम सिंगनालूर सूरत सूरजपुर तलेगांव (जिला पुणे) थुडियालूर (तमिलनाडु) तिरुपुर टोडिअरपेट (टीएनपीएम) चेन्नई तूतीकोरिन उदयपुर वडोदरा वाराणसी वीरापंडी (तमिलनाडु) और वालुज (औरंगाबाद)
4	भूमि सीमाशुल्क स्टेशन	अगरतला अमृतसर रेल कार्गो अटारी रोड चांगराबांधा डावकी घोजाडांगा हिल्ली जोगबनी महादीपुर नेपालगंज रोड नौतनवा (सोनौअली) पेट्रापोल रानाघाट रक्सौल सिंघाबाद और सुतारखंडी

[फा. सं. 605/12/2012-डीबीके (भाग)]

राजीव तलवार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2013

No. 06/2013-Customs

G.S.R. 100(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods when imported into India against a Post Export EPCG duty credit scrip (3% EPCG variant) issued by the Regional Authority in accordance with paragraph 5.11 under Chapter 5 {Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme} of the Foreign Trade Policy which provides for duty remission in proportion to export obligation fulfilled (hereinafter referred to as the said scrip) from,-

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act.

2. The exemption under this notification shall be subject to the following conditions, namely:-

(1) that the said scrip is granted against a valid authorisation issued under para 5.23 of the Handbook of Procedures Volume 1 (hereinafter referred to as the said authorisation) by the Regional Authority to an applicant (hereinafter referred as the authorisation holder) who opted for the scheme of Post Export EPCG Duty Credit Scrip (3% EPCG variant);

(2) that the said authorisation is not for import under duty exemption but for import of the goods specified in the Table 1 annexed hereto, on full payment of applicable duties in cash, where duty of customs under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) paid {hereinafter referred to as basic customs duty} is above 3 per cent. *ad valorem*;

(3) that the said authorisation is registered at the port of import specified in the said authorisation and the goods, which are specified in the Table 1 annexed hereto, are imported within thirty six months from the date of issue of the said authorisation on full payment of applicable duties in cash, and the said authorisation is produced before the proper officer of customs at the time of clearance of the goods for endorsement of the import particulars and in cases where the authorisation holder has opted that the Cenvat Credit under Cenvat Credit Rules, 2004 in respect of the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) paid (hereinafter referred to as additional duty of customs) shall not be taken, the proper officer endorses "Not valid for Cenvat Credit" on the bill of entry;

Provided that catalyst for one subsequent charge shall be allowed, under the authorisation in which plant, machinery or equipment and catalyst for initial charge have been imported, except

in cases where the Regional Authority issues a separate authorisation for catalyst for one subsequent charge after the plant, machinery or equipment and catalyst for initial charge have already been imported:

Provided further that the import of motor cars, sports utility vehicles or all purpose vehicles shall be allowed only to hotels, travel agents, tour operators or tour transport operators and companies owning or operating golf resorts, subject to the condition that,-

- (a) the total foreign exchange earning from hotel, travel and tourism and golf tourism sectors in current and preceding three licensing years is Rupees one crore fifty lakhs or more;
- (b) the duty amount on all authorisations issued under Chapter 5 of the Foreign Trade Policy, including para 5.23 of Handbook of Procedures Volume 1, in a licensing year for import of motor cars, sports utility vehicles or all purpose vehicles shall not exceed fifty percent. (50%) of average foreign exchange earnings from hotel, travel and tourism and golf tourism sectors in preceding three licensing years; and
- (c) the customs authority endorse the bill of entry while clearing the vehicles imported specifying that the vehicles shall be registered as a vehicle for '*tourist purpose only*' and the vehicles so registered are used for tourist purpose only and a copy of the registration certificate, to that effect shall be submitted to the concerned customs authority as a confirmation of import of vehicle within six months from the date of import:

Provided also that import of motor cars, sports utility vehicles or all purpose vehicles shall not be allowed to a Common Service Provider:

Provided also that the import of capital goods for creation of modern infrastructure shall be extended only to such retailers who have a minimum area of 1000 square metres.

- (4) that the goods imported under the said authorisation are installed and put to use, after their import, in the authorisation holder's factory or premises and at the time of registration of the said scrip a certificate, confirming such installation and use of the goods, from the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, which has been issued prior to the date of the first application filed by the authorisation holder for issuance of duty credit scrip against the said authorisation, is produced before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be:

Provided that if the authorisation holder, including an authorisation holder who is a Common Service Provider (CSP), is not registered with the Central Excise or if the authorisation holder is a service provider (other than a CSP), as the case may be, he may produce the said certificate of installation and usage issued by an independent Chartered Engineer:

Provided further that in the case of manufacturer authorisation holder and merchant authorisation holder having supporting manufacturer(s) or vendor(s) or in the case of import of

irrigation equipment for use in contract farming for export of agricultural products or in the case of authorisation holder rendering services, the capital goods may be installed at the factory or premises of such other person whose name and address is endorsed on the said authorisation and also on the shipping bills for fulfillment of the export obligation and the authorisation holder and such other person jointly and severally fulfill the export obligation and all other conditions. This shall not apply to a CSP:

Provided also that agro units located in Agri Export Zones or service providers in Agri Export Zones may move the capital goods within the Agri Export Zones under intimation to the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, subject to the condition that the authorisation holder shall maintain accurate record of such movement;

(5) that where the goods imported under the said authorisation are found defective or unfit for use, they may be re-exported back to the foreign supplier within three years from the date of payment of duty on the importation thereof subject to the condition that –

- (a) at the time of re-export the goods are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to be the same goods which were imported;
- (b) when the re-export of the goods has been made under claim of duty drawback, no duty remission in the form of duty credit scrip for the duty paid at the time of import on the re-exported goods shall be allowed;
- (c) after any duty remission in the form of duty credit scrip has been claimed in respect of the duty paid on the goods imported under the said authorisation, no duty drawback shall be allowed when the goods are re-exported and the export obligation shall also not be re-fixed;

(6) that goods imported under the said authorisation are not disposed of or transferred by sale or lease or any other manner by the authorisation holder till the date of last export against which the said scrip is issued;

(7) that the total export obligation to be fulfilled is equivalent to eighty five percent. (85%) of eight times the amount which is the difference between the following, namely:-

- (a) sum of applicable basic customs duty, additional duty of customs, Education Cess under section 94 of the Finance (No.2) Act, 2004 (23 of 2004) paid and Secondary and Higher Education Cess under section 136 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007) paid on the goods imported under the said authorisation;
and
- (b) sum of 3 per cent. of the assessable value of the said goods and an amount calculated as if it represented cess on the said 3 per cent. of the assessable value,

on Free On Board basis, within the export obligation period of eight years from the date of issue of the said authorisation:

Provided that additional duty of customs shall not be taken for computation for the purpose of fixation of export obligation when the Cenvat Credit in respect of additional duty of customs has not been taken:

Provided further that the export obligation shall be 75% of the export obligation specified above when fulfilled by export of following green technology products, namely, equipment for solar energy decentralised and grid connected products, bio-mass gassifier, bio-mass or waste boiler, vapour absorption chillers, waste heat boiler, waste heat recovery units, unfired heat recovery steam generators, wind turbine, solar collector and parts thereof, water treatment plants, wind mill and wind mill turbine or engine, other generating sets - wind powered, electrically operated vehicles - motor cars, electrically operated vehicles - lorries and trucks, electrically operated vehicles - motor cycle and mopeds, and solar cells:

Provided also that for units located in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura, the export obligation shall be 25% of the export obligation specified above:

Provided also that where the amount of duties paid in cash that are considered for fixation of export obligation is not less than Rs.100 Crore, or where the said authorisation is issued to units in the Agri Export Zone as may be notified by the Regional Authority, the export obligation shall be fulfilled within a period of twelve years from the date of issue of authorisation:

Provided also that where a sick unit is notified by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) or where a rehabilitation scheme is announced by the concerned State Government in respect of sick unit for its revival, the export obligation may be fulfilled within the time period allowed by the Regional Authority as per the rehabilitation package prepared by the operating agency and approved by BIFR or rehabilitation department of State Government. In cases where the time period is not specified in the rehabilitation package, the export obligation may be fulfilled within the time period allowed by the Regional Authority which shall not exceed twelve years:

Provided also that where the capital goods are imported by agro units and units in tiny and cottage sector, for the purpose of fixing the export obligation the words 'eight times' in this condition shall be read as 'six times' and the export obligation shall be fulfilled within a period of twelve years from the date of issue of the authorisation:

Provided also that where the capital goods are imported for technological up-gradation as per conditions specified in Para 5.8 of the Foreign Trade Policy or by small scale industry units as defined in paragraph 5.2 of the Foreign Trade Policy, as the case may be, for the purpose of fixing the export obligation the words 'eight times' in this condition shall be read as 'six times' and the export obligation shall be fulfilled within a period of eight years from the date of issue of

authorisation subject to the further condition that in the case of Small Scale Industry (SSI) units the landed Cost Insurance Freight (CIF) value of such imported capital goods under the scheme shall not exceed rupees fifty lakhs and total investment in plant and machinery after such imports shall not exceed the SSI limit:

Provided also that the export obligation shall be 50% of the export obligation specified above to be fulfilled within a period of eight years in the case of spares (including refurbished/reconditioned spares), moulds, dies, jigs, fixtures, tools and refractory for initial lining, for the existing plant and machinery (imported earlier, under para 5.23 of Handbook of Procedures Volume 1 or otherwise), subject to the condition that the CIF value of import of the above spares, etc is limited to 10% of the CIF value of the plant and machinery imported under the authorisation (para 5.23 of Handbook of Procedures Volume 1) or 10% of the book value of the plant and machinery imported earlier otherwise than under para 5.23 of Handbook of Procedures Volume 1, as the case may be;

(8) that the duty remission granted as duty credit in the said scrip bears the same proportion to the amount which is the basic customs duty on the goods imported under the said authorisation less 3 per cent. of the assessable value of the said goods which were considered for fixation of export obligation, as the extent of export obligation fulfilled (over and above the average export obligation) bears to the total export obligation:

Explanation 1. – For the purpose of condition (8),-

- (a) the amount of duty remission shall not include the duty paid, any portion of which has been rebated, including by way of duty drawback;
- (b) the amount of duty remission shall not include the duty paid which are not assessed finally;
- (c) extent of export obligation fulfilled shall be the export obligation fulfilled till the last export included in the said scrip less the export obligations fulfilled that have been counted towards the previously issued duty credit scrips against the said authorisation;
- (d) in condition (c) above, the export obligation fulfilled till the last export included in the said scrip shall be taken as the total export obligation fulfilled in the following cases
 - (i) where the authorisation holder fulfills seventy five percent. (75%) or more of the export obligation as specified in condition (7) [over and above hundred percent. (100%) of the average export obligation], within half of the period specified for export obligation as mentioned in said condition (7), in which case the balance export obligation shall stand condoned;

(ii) where the Regional Authority regularises shortfall, in the export obligation as specified in condition (7), not exceeding five per cent. (5%) of such export obligation, in which case the said shortfall shall be condoned;

(e) the *Explanation 2* to this notification relating to 'Export obligation' shall apply severally to each duty credit scrip, including the said scrip, issued against the said authorisation;

(f) the exports and supplies made within the export obligation period specified in condition (7) shall count towards fulfillment of export obligation;

(g) for fulfillment of export obligation, the payments against the exports/supplies should have been realised.

(9) that where the first proviso to condition (7) is applied, the Cenvat Credit in respect of the additional duty of customs shall not been taken and at the time of registration of the said scrip a certificate, from the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, to the effect that Cenvat Credit in respect of additional duty of customs on goods imported under the said authorisation has not been taken, is produced by the authorisation holder before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be:

Provided that when the authorisation holder is not registered with Central Excise, he may produce the said certificate on self-certification basis;

(10) that the duty remission in the said scrip does not relate to duties paid on the imports made under the said authorisation which have not been installed and put to use;

(11) that the duty remission in the said scrip has not been obtained as a consequence of indigenous sourcing of capital goods;

(12) that the said scrip is issued, on request of the authorisation holder in form ANF5B for duty remission, by the Regional Authority specifying the same port of registration as mentioned in the said authorisation and it indicates details of the said authorisation, total export obligation fixed and its calculation, details of previous duty credit scrips issued against the said authorisation and the calculation of duty credit;

(13) that the imports under the said authorisation, the exports for fulfilling the export obligations and import of goods against the said scrip are undertaken through the seaports, airports or through the Inland Container Depots or through the Land Customs Stations as mentioned in the Table 2 annexed hereto or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other seaport, airport, inland container depot or through a land customs station within his jurisdiction;

(14) that for the purposes of registration, the said scrip is produced by the authorisation holder at the specified port of registration before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, along with –

- (a) the said authorisation and the bill(s) of entry under which the imports under the said authorisation were made on payment of applicable duties in cash;
- (b) evidence showing the extent of export obligation fulfilled within the export obligation period;
- (c) certificate confirming installation and use as prescribed in condition (4) above;
- (d) certificate that Cenvat Credit has not been taken as prescribed in condition (9) above, where applicable;
- (e) undertaking from the authorisation holder to the effect that,-
 - (i) the goods imported under the said authorisation have not been disposed of or transferred by sale or lease or any other manner till the date of last export against which the said scrip is issued;
 - (ii) the duty remission in the said scrip does not include the duty paid, any portion of which has been rebated, including by way of duty drawback; and
 - (iii) all the conditions have been complied with respect to the duty credit in the said scrip,and the said Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, as the case may be, upon being satisfied, allows the said scrip to be registered and the Customs authority endorses details of the said scrip and the remark "Drawback not available on re-export" on the bill(s) of entry, and registers the said scrip;

(15) that the said scrip and goods imported against it shall be freely transferable;

(16) that the said scrip is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit of the duties leviable on the goods and the proper officer taking into account the debits already made under this exemption debits the duties leviable on the goods, but for this exemption;

(17) that the validity of the said scrip shall be eighteen months from the date of issue and the said scrip shall be valid on the date on which actual debit of duty is made;

(18) that where the importer, under this notification, does not claim exemption from the additional duty of customs leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) he shall be deemed not to have availed the benefit under this notification for the purpose of calculation of the said additional duty of customs;

(19) that the benefit under this notification shall not be available to the items listed in Appendix 37B of the Handbook of Procedures Volume 1;

(20) that the importer shall be entitled to avail of the drawback or Cenvat credit of additional duty leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act against the amount debited in the said scrip.

Explanation 2. – For the purpose of this notification, -

(A) "Capital goods" has the same meaning as assigned to it in Paragraph of 9.12 of the Foreign Trade Policy;

(B) "Common Service Provider" (CSP) means a service provider who is designated or certified as a Common Service Provider by the DGFT, Department of Commerce or State Industrial Infrastructural Corporation in a Town of Export Excellence;

(C) "Export obligation",-

(I) means obligation on the authorisation holder to export to a place outside India, goods manufactured or capable of being manufactured or services rendered by the use of goods imported under the said authorisation and the export obligation shall be over and above the average level of exports achieved by the authorisation holder in the preceding three licensing years for the same and similar products within the export obligation period and such average shall be the arithmetic mean of export performance in the last three years for the same and similar products:

Provided that up to fifty percent. (50%) of the export obligation may also be fulfilled by export of other good(s) manufactured or service(s) provided by the authorisation holder or his group company or managed hotel, which has the said authorisation under which imports were made subject to the condition that in such cases, additional export obligation imposed shall be over and above the average exports achieved by the authorisation holder or his group company or managed hotel in preceding three years for both the original and the substitute product(s) / service(s):

Provided further that in case of export of goods relating to handicraft, handlooms, cottage, tiny sector, agriculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry, sericulture, carpet, coir and jute, the authorisation holder shall not be required to maintain the average level of exports:

Provided also that in case of export of goods relating to aquaculture (including fisheries), the authorisation holder shall not be required to maintain the average level of exports subject to the condition that said authorisation has been obtained for goods other than fishing trawlers, boats, ships and other similar items:

Provided also that the goods, excepting tools, imported under said authorisation by the aforesaid sectors, shall not be allowed to be transferred for a period of five years from the date of imports even in cases where export obligation has been fulfilled. Transfer of capital goods would, however, be permitted within the group companies, after fulfillment of export obligation but before five years from the date of imports, under intimation to Regional Authority and jurisdictional Central Excise Authority:

Provided also that exports made to such countries as notified by Director General of Foreign Trade, shall not be counted for fixing the average level of exports:

Provided also that exports against only such shipping bills which mention the authorisation number and date of the said authorisation shall be counted for the fulfillment of the export obligation;

Provided also that in the case of authorisation issued to a Common Service Provider (CSP), -

- (a) the reference to 'authorisation holder' in this Explanation shall be taken to mean a reference to 'CSP and specific users whose details are informed prior to export by CSP to the Regional Authority';
- (b) for the exports by users of the common service to be counted towards fulfillment of export obligation of CSP, the respective shipping bills of the users of common service shall contain the authorisation details of the CSP and the concerned Regional Authority shall be informed about the details of the users prior to such export; and
- (c) the exports counted against the authorisation shall not be counted towards fulfillment of other specific export obligations against all other authorisations issued under Chapter 5 of the Foreign Trade Policy, including para 5.23 of Handbook of Procedures Volume 1;

(ii) shall be fulfilled through physical exports and the export proceeds realised in freely convertible currency. However the following categories of supplies, shall also be counted towards fulfillment of export obligation:

(a) deemed exports, namely:-

- (i) supply of goods against Advance Authorisation/Advance Authorisation for Annual Requirement/ Duty Free Import Authorisation (DFIA);
- (ii) supply of goods to Export Oriented Units (EOUs) or Software Technology Parks (STPs) or Electronics Hardware Technology Parks (EHTPs) or Bio-Technology Parks (BTPs);
- (iii) supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies or Funds as notified by the Department of Economic Affairs (DEA), the Ministry of Finance (MOF) under International Competitive Bidding (ICB) in accordance with procedures of those agencies or Funds, where legal agreements provide for tender evaluation without including customs duty; supply and installation of goods and equipments (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral agencies or Funds as notified by DEA, MOF under ICB, in accordance with procedures of those agencies/Funds, where bids may have been invited and evaluated on the basis of Delivery Duty Paid (DDP) prices for goods manufactured abroad;

(iv) supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by a notification, permits import of such goods at zero customs duty and the supply is made under ICB procedure;

(v) supply of goods to mega power projects as provided in sub-clause (ii) of clause (f) of para 8.2 of Foreign Trade Policy;

(vi) supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as provided in clause (j) of para 8.2 of Foreign Trade Policy;

(b) supply of ITA-1 items to Domestic Tariff Area, provided realization is in free foreign exchange;

(c) royalty payments received in freely convertible currency and foreign exchange received for Research and Development (R&D) services; and

(d) payments received in rupee terms for port handling services in terms of chapter 9 of the Foreign Trade Policy.

(D) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy 2009-2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, No.1 (RE - 2012) /2009-2014 dated the 5th June 2012, as amended from time to time;

(E) "Handbook of Procedures Volume 1" means the Handbook of Procedures Volume 1, 2009-14, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 *vide* public notice of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, No.01 (RE - 2012)/2009-2014, dated the 5th June, 2012, as amended from time to time;

(F) "Manufacture" has the same meaning as defined in clause (f) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);

(G) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation including a duty credit scrip under the said Act;

(H) "Town of Export Excellence" (TEE) means a selected town producing goods of Rs. 750 Crore or more based on potential of growth in exports. However, for TEE in handloom, handicraft, agriculture and fisheries sector the threshold limit would be Rs.150 Crore.

TABLE 1

S. No.	Description of goods
1.	Capital goods for pre-production, production and post-production including second hand capital goods.
2.	Capital goods in Semi Knocked Down (SKD)/Completely Knocked Down (CKD) conditions to be assembled into capital goods by the authorisation holder.
3.	Spare parts of CIF value upto 10% of the CIF value of goods specified at Serial Nos.1 and 2 as actually imported and required for maintenance of capital goods so imported, assembled, or manufactured.
4.	Spare parts of CIF value upto 10% of the book value of the existing plant and machinery of the authorisation holder.
5.	Motor cars, sports utility vehicles and all purpose vehicles.

TABLE 2

S.No.	Port, ICD, LCS	Located at
1.	Seaports	Bedi (including Rozi-Jamnagar), Chennai, Cochin, Dahej, Dharamtar, Haldia (Haldia Dock complex of Kolkata port) Kakinada, Kandla, Kolkata, Krishnapatnam, Ennore (Tamilnadu) and Karaikal (Union territory of Puducherry), Magdalla, Mangalore, Marmagoa, Muldwarka, Mumbai, Mundhra, Nagapattinam, Nhava Sheva, Okha, Paradeep, Pipavav, Porbander, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam and Vadinar.
2.	Airports	Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Chennai, Cochin, Coimbatore, Dabolim (Goa), Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Lucknow (Amausi), Mumbai, Nagpur, Rajasansi (Amritsar), Srinagar, Trivandrum, Varanasi and Visakhapatnam.
3.	Inland Container Depots	Agra, Ahmedabad, Anaparthi (Andhra Pradesh), Babarpur, Bangalore, Bhadohi, Bhatinda, Bhilwara, Bhiwadi, Bhusawal, Chettipalayam (Tamilnadu), Chheharata (Amritsar), Coimbatore, Dadri, Dappar (Dera Bassi), Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Delhi, Dhannad Rau (District Indore), Dighi (Pune), Durgapur (Export Promotion Industrial Park), Faridabad, Garhi Harsaru, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Irugur Village (Tamilnadu), Irungattukottai (SIPCOT Industrial Park, Kattrambakkam Village, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, Tamilnadu), Jaipur, Jalandhar, Jamshedpur, Jodhpur, Kanpur, Karur, Kheda (Pithampur, District Dhar), Kota, Kundli, Loni (District Ghaziabad), Ludhiana, Madurai, Malanpur, Mandideep (District Raisen), Marripalem Village (in Edlapadu Taluk of District Guntur), Miraj, Moradabad, Nagpur, Nasik, Patli (Gurgaon), Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Pondicherry, Raipur, Rewari, Rudrapur (Nainital), Salem, Singanalur, Surat, Surajpur, Talegaon (District Pune), Thudiyalur (Tamilnadu), Tirupur, Tondiarpet (TNPM) in Chennai, Tuticorin, Udaipur, Vadodara, Varanasi, Veerapandi (Tamilnadu) and Waluj (Aurangabad).
4.	Land Customs Stations	Agartala, Amritsar Rail Cargo, Attari Road, Changrabandha, Dawki, Ghojadanga, Hilli, Jogbani, Mahadipur, Nepalganj Road, Nautanva (Sonauli), Petrapole, Ranaghat, Raxaul, Singhabad and Sutarkhandi.

[F. No. 605/12/2012-DBK (Pt)]

RAJIV TALWAR, Jt. Secy.